Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

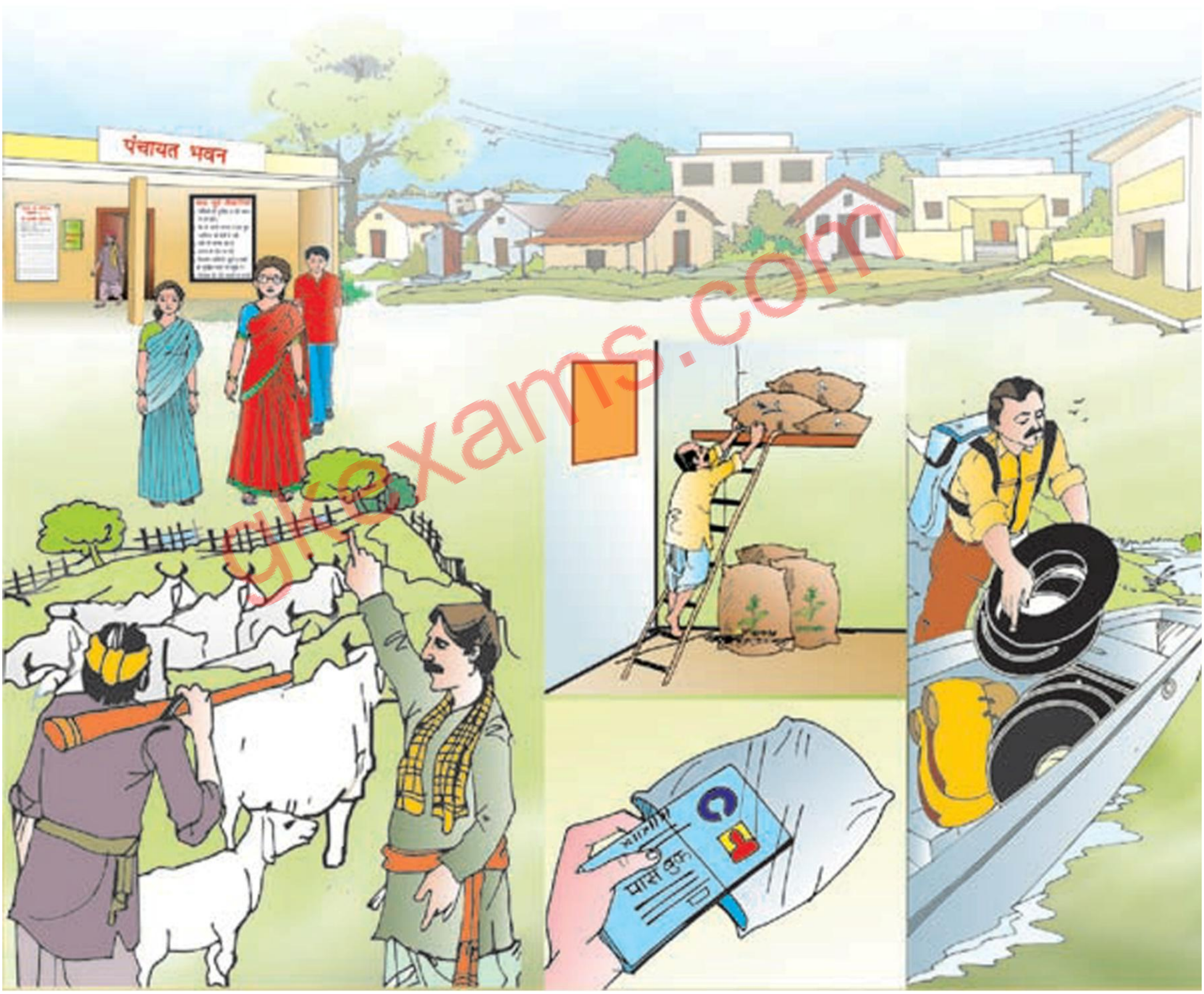

gkexams.com

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

कृषि

- प्राथमिक क्षेत्र का अंश सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015-16 (त्वरित) एवं 2016-17 (अग्रिम) में क्रमशः 33.86 प्रतिशत एंव 36.34 प्रतिशत स्थिर भाव पर रहा।★
- राज्य की अर्थव्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 29.30 प्रतिशत है।★
- वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9284 हजार हेक्टेयर है, जो गतवर्ष के 9584 हजार हेक्टेयर से 3.12 प्रतिशत कम रहा।★
- वर्ष 2016-17 के दौरान फसल क्षेत्र में 25.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।★
- वर्ष 2015-16 में चावल, मक्का, गेहूँ का उत्पादन क्रमशः 5320, 3140, 18410 हजार मीट्रिक इन रहा।★
- 2015-16 में दलहनी फसलों का कुल उत्पादन 5654 हजार मीट्रिक टन हुआ।
- 2015-16 में तिलहनी फसलों का कुल उत्पादन 7336 हजार मीट्रिक टन रहा।★
- बी.टी.कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016) 512000 हेक्टेयर एवं 1510080 (पैकिट संख्या) हुआ।★
- **अन्नपूर्णा योजनांतर्गत** 2015-16 में अनुसूचित जाति के 128 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 133 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2016-17 (दिसम्बर, 2016) तक अनुसूचित जाति के 115 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 126 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया।★
- **नेशनल मिशन ऑन आइल सीड एवं आंयल पॉम योजना** 2014-15 से संचालित है। इस योजना का उद्दश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।
- सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्पवर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी **रिज-फरों पद्धति** को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2015-16 में 2014 तथा 2016-17 में अतिरिक्त 612 कस्टम हायरिंग केन्द्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने का कार्यक्रम लिया गया है।
- वर्ष 2016-17 में कृषि यंत्रों के बड़े 82 हाइ-टक निजी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे।
- कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिये शासन द्वारा प्रतिवष 200 ग्रामों का चयन यंत्रदूत ग्राम के रूप में किया जाता है।
- प्रदर्शन/मिनिकट की योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 686126 प्रदर्शन/मिनिकट आयोजित किये गये है। वर्ष 2016-17 में यह योजना बंद कर दी गई है।
- वर्ष 2013-14 से प्रदेश मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का प्राकृतिक आपदा एवं मौसम के विपरीत प्रभाव से फसलों की क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु **मौसम आधारित फसल बीमा योजना** लागू की गई।
- वर्ष 2016-17 कुल मसालों का उत्पादन 41.53 लाख मीट्रिक टन रहा।
- वर्ष 2016-17 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 8.64 लाख हेक्टेयर एवं 158.01 लाख मीट्रिक टन रहा।
- वर्ष 2015-16 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.91 लाख हेक्टेयर एवं 53.12 लाख मीट्रिक टन रहा जबकि वर्ष 2016-17 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन 3.29 लाख हेक्टेयर एवं 59.17 लाख मीट्रिक टन रहा।★
- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2005-06 से **राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन** प्रारंभ किया गया। वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- प्रदेश में **औषधीय पादप मिशन** 2008-09 से प्रांरभ किया गया।
- **जन निजो भागीदारी योजना** के अंतर्गत प्रदेश में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना** भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का भोपाल की करोंद मंडी में 14 फरवरी 2016को पायलट रूप में प्रारंभ किया। इसके द्वितीय चरण में 19 मंडी समितियों को 2016 में लागू किया गया तथा 31 मार्च 2017 तक तृतीय चरण में 30 और मंडी समितियों में लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।★
- चावल मध्यप्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है।
- मध्यप्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में देश में चौथा स्थान है।
- सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- ज्वार, तिलहन व अरहर के उत्पादन में प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है।
- मध्यप्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 43 प्रतिशत भाग एक फसलीय तथा 70 प्रतिशत भाग द्वि-फसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत आता है।
- कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में **'विपुल उत्पादन कार्यक्रम'** चलाया जा रहा है।
- अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये प्रदेश में **सूरज धारा योजना** चलायी जा रही है।
- मध्यप्रदेश का दलहन उत्पादन में 22 प्रतिशत हिस्सा है तथा प्रदेश देश के तिलहन उत्पादन का 13 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- मध्यप्रदेश में किसानों के हित संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक **'किसान परिषद्'** का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- मध्यप्रदेश के खण्डवा, खरगौन को **'सफेद सोना'** का क्षेत्र कहा जाता है।
- इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता का स्टील सायलों प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है।★

(★ मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2016–2017)

मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र

कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 **कृषि प्रदेशों** में विभाजित किया गया है–

1. **पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश: मंदसौर**, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जन, शाजापुर, इन्दौर, खण्डवा, खरगौन आदि ज्वार एवं कपास के प्रदेश है।
2. **उत्तर में ज्वार– गेहूं का प्रदेश: मुरैना**, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिला में है। एक अन्य प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल में भी है।
3. **मध्य गेहूं का प्रदेश:** इसमें **भोपाल**, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह जिले शामिल है।
4. **चावल–गेहूं का प्रदेश:** इसमें **उत्तर में पन्ना**, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक को पेटी शामिल है।
5. **सम्पूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश (चावल का प्रदेश):** इसमें **रीवा**, सीधी, शहडोल, डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित है।

फसलों के आधार पर मध्यप्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बाँटा गया है –

1. **ज्वार का क्षेत्र – गुना**, शिवपुरी, श्योपुर, पश्चिमी मुरैना।
2. **गेहूँ व ज्वार का क्षेत्र – बघेलखण्ड** तथा मालवा के पठार का मध्य भाग, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर
3. **कपास व गेहूँ का क्षेत्र – उज्जैन**, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास व सीहोर।
4. **कपास का क्षेत्र –** पश्चिमी मध्यप्रदेश **(खण्डवा, खरगौन**, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ)
5. **चावल व कपास क्षेत्र – खण्डवा**
6. **चावल, कपास, ज्वार क्षेत्र –** सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल।
7. **चावल का क्षेत्र – बघेलखण्ड क्षेत्र** (शहडोल, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, सीधी, जबलपुर)।

मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें

गेहूँ :–

मध्यप्रदेश की **सबसे महत्वपूर्ण फसल** है, रबी की फसलों का सबसे अधिक क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है।

मध्यप्रदेश का पश्चिमी भाग गेहूँ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है प्रदेश के इस भाग में औसत **वर्षा** 75–127 **सेमी** तक होती है।

ज्वार :–

यह रबी और खरीफ दोनों फसलों में होता है जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल चावल है उसी प्रकार **पश्चिमी मध्यप्रदेश को प्रमुख खरीफ फसल ज्वार** है।

उस सम्पूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश में ज्वार होती है–जहाँ गेहूँ होता है अन्तर केवल इतना है कि पश्चिम की ओर ज्वार का क्षेत्र बढ़ता जाता ह और गेहूँ का भाग कम होता जाता हैं।

चावल :–

अविभाजित मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। इसका प्रमुख क्षेत्र पूर्वी मध्यप्रदेश था इसी कारण **छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा** भी कहा जाता है, किन्तु प्रदेश के विभाजन के बाद शेष बचे राज्य में चावल अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

अरहर :–

मध्यप्रदेश भारत में दालों में अग्रणी राज्य है प्रदेश के विभाजन के बाद भी दलहन के क्षेत्र में देश में इसका प्रथम स्थान यथावत् बना हुआ है।

चना :–

चने में पिछले सात वर्षों में हुई राष्ट्र की कुल उत्पादन वृद्धि का 39 **प्रतिशत योगदान मध्यप्रदेश का** है, यह रबी की फसल है।

तिलहन :–

तिहलन फसलों के अंतर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में ही गत वर्ष से मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

सोयाबीन :–

सोयाबीन **मूलतः चीन** की फसल है और जापान, कोरिया एवं मंगोलिया में इसके कृषि प्रदेश है। मध्य प्रदेश में खरीफ मौसम की प्रमुख व्यापारिक फसल सोयाबीन है सम्पूर्ण देश का **59 प्रतिशत से अधिक सोयाबीन मध्यप्रदेश द्वारा उत्पादित** किया जाता है, सोयाबीन के उत्पादन को देखते हुए तथा इस फसल को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा मध्यप्रदेश को **'सोयाबीन राज्य'** घोषित किया गया है। प्रदेश में सोयाबीन की खेती **1964–65 से शुरू की गई** थी।

अलसी :–

अलसी प्रदेश की **रबी की महत्वपूर्ण फसल** है यह गेहूँ, चना और जौ के साथ मिलाकर बोयी जाती है। अलसी सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, जहाँ पर्याप्त नमी हो इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रीवा है।

तिल :–

यह **खरीफ तथा मध्य रबी में बोयी जाती** है। खरीफ को फसल छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, जबलपुर, मण्डला, पूर्वी निमाड और सिवनी जिलों में होती है, जबकि रबी की फसल सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिलों में की जाती है।

मूँगफली :–

मूँगफली खरीफ की फसल है, जो तेल और भोज्य पदार्थ दोनों के लिए उगायी जाती है। मध्यप्रदेश में मूँगफली का उत्पादन मालवा का पठार और नर्मदा घाटी के निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है– मध्यप्रदेश के मन्दसौर, धार, रतलाम, खरगौन, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़ एवं शाजापुर जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। रेतीली, दोमट, भुरभुरी तथा पानी के अच्छे निकास वाली भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ और कैल्सियम पर्याप्त हों, मूँगफली की खेती के लिए उपयुक्त है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

नकदो फसलें– प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें निम्न लिखित है–

- **कपास– कपास मध्यप्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकद** फसल है। कपास की खेती मध्यप्रदेश के **खरगौन**, खण्डवा, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर और झाबुआ जिलों में की जाती है। प्रदेश में देशी तथा अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास की खेती होती है। **पश्चिमी मध्यपदेश की काली मिट्टी कपास हेतु** उपयुक्त है।
- **गन्ना** – गन्ना मध्यप्रदेश के प्रायः उन सभी क्षेत्रों में लगाया जात है, जहाँ जल व्यवस्था ठीक है। **गन्ना तैयार होने में लगभग दस से चौदह माह का समय** लगता है। **दोमट मिट्टी इसके लिये सर्वोत्तम** होती है।

सूरजधारा योजना:–

- अनसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों अथवा किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी या तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाले फसलों के बीज उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में **सूरजधारा योजनान्तर्गत 2015-16** में अनुसूचित जाति के 126 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 117 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 2016-17 दिसम्बर, 2016 तक अनुसूचित जाति के 118 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 114 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया।

पशुपालन एवं कुक्कुट पालन

- मध्यप्रदेश **राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982** में की गई।
- वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 3. 63 करोड़ पशुधन तथा 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है।
- वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या (मादाओं) 109.90 लाख है।
- प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 3. 09 लाख भेड़े एवं 80.14 लाख बकरे-बकरियाँ है।
- वर्ष 2015-16 में 18.30 हजार भेड़े और फलाई गई।
- वर्ष 2016-17 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय 1585 पशु औषधालय, 38 पशु चिकित्सा इकाईयाँ तथा एक राज्य स्तरीय एवं 22 जिलास्तरीय रोग अनुसंधान शालाएँ कार्यरत है।★
- प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षत्र है।
- प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन 12148 हजार टन, अण्डा का उत्पादन 14414 लाख तथा मांस उत्पादन 70 हजार टन रहा।★
- मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के केन्द्रीय वीर्य संग्राहलय, भदभदा, भोपाल को भारतीय मानक ब्यूरो से ISO Certificate 9001, 2008 (BIS Crtificate) प्रमाण पत्र 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिये प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 1980-81 में प्रदेश में ऑपरेशन फल्ड-II कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके तहत 4 दुग्ध संघों यथा ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर की स्थापना की गई।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में इंदौर दुग्ध संघ के देवास जिले की देपालपुर तहसील में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन की स्वीकृति 15 मार्च 2012 का प्राप्त हुई।★
- वर्ष 2015-16 में समस्त स्त्रातों से 122000 टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरूद्ध 115016.50 टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 66.92 प्रतिशत रहा।★
- मध्यप्रदेश देश का तीसरा बड़ा पशुधनयुक्त राज्य है।
- राज्य के पशुओं में सबसे बड़ी संख्या बकरियों की है।
- राज्य में पशु घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किमी. है।
- राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ एवं रीवा में तथा न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद जिले में पाया जाता है।
- राज्य में सर्वाधिक पशु संख्या सीधी जिले में तथा न्यूनतम पशु संख्या बुरहानपुर जिले में पाई जाती है।
- राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरूआत 1975 में आनन्द पद्धति पर की गई थी।
- प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना वर्ष 1977-78 में की गई थी।
- प्रदेश में पशुधन में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है।
- प्रदेश में पशुधन शिक्षा के लिए जबलपुर तथा मह में महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।
- प्रदेश में निमाड़ी गाय की अधिक माँग है।
- मध्यप्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए 'गौवंश आयोग' बनाया गया है।
- प्रदेश में स्थानीय नस्ल की भेड़ों के सुधार के लिए भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है।
- दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से **एकीकृत डेयरी विकास परियोजना** प्रारंभ की गई है।
- मध्य प्रदेश में 1980 से आनन्द मॉडल से प्रेरणा लेकर ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण को प्रारम्भ किया गया।
- मध्यप्रदेश में 'अमूल' पद्धति पर डेयरी विकास के लिए वर्तमान में ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजना क्रियान्वित है।
- प्रदेश के शहडोल, मण्डला, सीधी, बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना संचालित की जा रही है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत को उन्नत नस्ल के गौवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए प्रदश में 26 अक्टूबर, 2005 से **नन्दीशाला** योजना प्रांरभ की गई है।
- **कलोर संगोपन कार्यक्रम:** इसके अन्तर्गत उन्नत नस्ल की बछिया को पोषित कर गायों में परिवर्तन होने के बाद पशुपालकों को प्रदान की जाती है।

(★ मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017)

महत्वपूर्ण बिन्दु

- **मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन उज्जैन जिले** में है।
- **गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र** में होता है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- **राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इंदौर** में है।
- **इन्दौर में देश की प्रथम जैविक खाद इकाइ** स्थापित की गई है।
- **अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र ग्वालियर** में है।
- **सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक संयंत्र कटनी** में है।
- **महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार** की सहायता से संचालित है।
- मध्यप्रदेश में कृषि विभाग का नाम अब **किसान कल्याण तथा कृषि विभाग** हो गया है।
- मध्यप्रदेश की लगभग **70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर** है।
- मध्यप्रदेश के लगभग **49 प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि** होती है।
- प्रदेश में कृषि जोतों का क्षेत्रफल 154.41 लाख हेक्टेयर है। (कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार)
- **उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र** है।
- वर्ष **1989** से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति के समय सहायता हेतु **'थ्रस्ट परियोजना'** चलायी जा रही है। इसके तहत् चावल, गेहूँ व अरहर की फसलों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
- देश के कुल गेहूँ उत्पादन का 11 प्रतिशत मध्यप्रदेश में होता है।
- मध्यप्रदेश को **सोयाबीन स्टेट या सोया राजधानी** भी कहा जाता है।
- **मालवा का पठार गेहूँ का भण्डार** कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादित होता है।
- मध्यप्रदेश में **खरीफ की फसलों का प्रतिशत 62** जबकि **रबी की फसलों का प्रतिशत 38 है।**
- मध्यप्रदेश का **कपास उत्पादन में देश में तीसरा स्थान** तथा **गेहूँ के उत्पादन में चौथा स्थान** है।
- **मंदसौर और नीमच राज्य के अफीम उत्पादक** जिले है।
- **खण्डवा तथा बुरहानपुर राज्य के गाँजा उत्पादक** जिले है।
- प्रदेश में **सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र ग्वालियर**, भिण्ड, मुरैना है।
- प्रदेश में **सर्वाधिक मूँगफली का उत्पादन खरगौन** जिले में होता है।
- मध्यप्रदेश में **चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विदिशा** व होशंगाबाद है।
- प्रदेश में **पीली क्रांति का संबंध सरसों**, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि से है।
- प्रदेश में सबसे **अधिक मात्रा में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का प्रयोग** होता है।
- रबी की फसलों को **'उनाल'** भी कहते है, यह फसले **अक्टूबर-नवम्बर में बोयी** जाती है तथा **मार्च-अप्रैल में काटी** जाती है।
- खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार है।
- रबी व खरीफ के मध्य में उगायी जाने वाली फसलें 'जायद' फसलें है।
- प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है।
- प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी एवं नीमच जिलों में है।
- देश की सर्वाधिक परती भूमि मध्य प्रदेश में है।
- सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि वाला जिला उज्जन (80.20%) है।
- न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि वाला जिला मण्डला (22.70%) है।
- राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है एवं दूसरे स्थान पर गेहूं उगाया जाता है।
- दालों के क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक चनें के क्षेत्र में हुई है।
- अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि मक्का के क्षेत्र में हुई है।
- तिलहनों में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में हुई है।
- दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998-99 में **राष्ट्रीय दलहन विकास योजना** आरम्भ की गई।
- राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी।
- राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है।
- मध्य प्रदेश को 11 शस्य संयोजन प्रदेशों/कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
- गेहूं-चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित है।
- राज्य में सन् 1960 में सर्वप्रथम मण्डी अधिनियम पारित किया गया था।

	रकबा		उत्पादन	
फसल	**प्रथम तीन जिले**	**न्यूनतम तीन जिले**	**प्रथम तीन जिले**	**न्यूनतम तीन जिले**
धान	बालाघाट, सिवनी, मंडला	इंदौर, नीमच, शाजापुर	बालाघाट, सिवनी, मंडला	इंदौर, नीमच, शाजापुर
गेहूं	होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर	बुरहानपुर,बालाघाट, शहडोल	होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर	अनूपपुर, उमरिया, टीकमगढ़
चना	उज्जैन, सागर, विदिशा	बुरहानपुर, अनूपपुर, शहडोल	उज्जैन, सागर, विदिशा	शहडोल, अनूपपुर, बुरहानपुर
मक्का	छिंदवाड़ा झाबुआ, धार	मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर	झाबुआ, रतलाम, छिंदवाड़ा	मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर
ज्वार	खरगौन, बड़वानी छिन्दवाड़ा	बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी	खरगौन, बड़वानी, छिंदवाड़ा	बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी
सोयाबीन	उज्जैन, शाजापुर, सागर	सिंगरोली, भिण्ड, बालाघाट	उज्जैन, शाजापुर, सागर	सिंगरौली, भिण्ड, बालाघाट

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

राई–सरसों	मुरैना, भिण्ड, मन्दसौर	खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद	मुरैना, भिण्ड, श्योपुर	होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन
कपास	खरगौन, धार खण्डवा	नीमच, उज्जैन, श्योपुर	खरगौन, धार, खण्डवा	नीमच, उज्जैन, श्योपुर
गन्ना	नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल,	उमरिया, डिण्डोरी, विदिशा	नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल	शहडोल, छतरपुर, सतना
मिर्च	खरगौन, बड़वानी खण्डवा	ग्वालियर, भिण्ड, गुना	खण्डवा, धार, खरगौन	ग्वालियर, उमरिया, भिण्ड
अदरक	छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर
लहसुन	मंदसौर, उज्जैन, रतलाम	दतिया, डिण्डोरी, बुरहानपुर	रतलाम, मंदसौर, उज्जैन	दतिया, मुरैना, डिण्डोरी
धनिया	शाजापुर, गुना, राजगढ़	ग्वालियर, उमरिया, टीकमगढ़	गुना, राजगढ़, मंदसौर	ग्वालियर, उमरिया, टीकमगढ़
आलू	इंदौर, देवास, शाजापुर	नीमच, बड़वानी, झाबुआ	इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा	नीमच, डिण्डोरी, बड़वानी
शकरकंद	दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर	भोपाल, नीमच, भिण्ड	टीकमगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर	भोपाल, भिण्ड, रीवा
प्याज	शाजापुर, खंडवा, सतना	ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर	खंडवा, सागर, शाजापुर	ग्वालियर, श्योपुर, दतिया

मध्य प्रदेश में कृषि की जलवायवीय एवं भौगोलिक दशाएं

फसल	वर्षा (सेमी. में)	तापक्रम (से. ग्रे. में)	मिट्टी
गेहूं	75 से 100	15 से 25	दोमट, हल्की, कछारी
चावल	125 से 200	25 से 26	दोमट, दलदली, चिकनी
चना	100 से 200	20 से 26	काली, जलोढ़
कपास	60 से 100	20 से 25	काली, जलोढ़
तुअर	100 से 200	20 से 26	चिकनी, दोमट
ज्वार	75 से 100	15 से 26	दोमट, कछारी
गन्ना	100 से 200	15 से 24	हल्की दोमट, चिकनी

कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं एवं केन्द्र

संस्था / केन्द्र	मुख्यालय
राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र	बड़वानी (प्रस्तावित)
कपास अनुसंधान केन्द्र	खरगौन
कृषि अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान	भोपाल
कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय	जबलपुर
उद्यानिकी महाविद्यालय	मन्दसौर
एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र	उज्जैन
प्रदेश का पहला सैलरिच जैविक खाद संयंत्र	भोपाल
मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र	धार
भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई	इन्दौर
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर (1964)
अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केन्द्र	खमरिया (जबलपुर में प्रस्तावित)
डेयरी स्टेट केन्द्र	परियट (जबलपुर)
राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	रतलाम प्रस्तावित
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इंदौर(1983)
दलहन अनुसंधान केन्द्र	अमलाहा (सीहोर)
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर (1989)
सैलरिच जैविक खाद संयंत्र	भोपाल
गन्ना अनुसंधान केन्द्र	बोहानी, नरसिंहपुर (प्रस्तावित)
कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर	अमलाहा (सीहोर प्रस्तावित)
मध्यप्रदेश गेहूँ अनुसंधान केन्द्र	पवारखेड़ा (होशंगाबाद)
इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस	भोपाल

gkexams.com

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन ★

फसलें	क्षेत्राच्छादन (हजार हेक्टेयर)		उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	
	2014-15	2015-2016	2014-15	2015-2016
चावल	2153.00	2024.00	5438.00	5320.00
मक्का	1132.00	1098.00	2531.00	3140.00
गेहूँ	6002.00	5911.00	18480.00	18410.00
कुल खाद्यान्न	**15160.00**	**15553.00**	**32048.00**	**33951.00**

दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन ★

फसलें	क्षेत्राच्छादन (हजार हेक्टेयर)		उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	
	2014-15	2015-2016	2014-15	2015-2016
अरहर	521.00	579.00	511.00	640.00
चना	2853.00	3017.00	2964.00	3364.00
कुल दलहन	**5250.00**	**5770.00**	**4647.00**	**5654.00**

प्रमुख तिहलनी फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन ★

फसलें	क्षेत्राच्छादन (हजार हेक्टेयर)		उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	
	2014-15	2015-2016	2014-15	2015-2016
राई-सरसों	666.00	617.00	670.00	666.00
सोयाबीन	5604.00	4448.00	6382.00	5906.00
कुल तिलहन	**7065.00**	**5623.00**	**7719.00**	**7336.00**

प्रमुख फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश में स्थान

फसल	स्थान क्रम
गेहूं	चतुर्थ
चावल	छठां
सोयाबीन	प्रथम
तिलहन	द्वितीय
दलहन	प्रथम
ज्वार	द्वितीय
चना	प्रथम
कपास	तृतीय
सरसों	द्वितीय

वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन ★

फसलें	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	
	2014-15	2015-2016
गन्ना	457.00	528.00
कपास (रूई)	1242.00	1348.00

(★ मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017)

सिंचाई परियोजना

- राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चन्देल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहों में तालाबों का निर्माण कराया।
- सबसे पहली नहर सन् 1923 में बालाघाट जिले में बेनगंगा नहर बनाई गई थी।
- 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया।
- 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया।
- 1936 में बालाघाट जिले में मुरम नाला का निर्माण किया गया।
- राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्त्व है।
- राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर जल प्रदेश को आवंटित है। जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7 प्रतिशत है।
- वर्ष 2014-15 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9584 हजार हेक्टेयर था जो घटकर 2015-16 में 9284.5 हजार हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 3.12 प्रतिशत की कमी रही। ★
- वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.76 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात् नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 20.95 तथा अन्य स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 12.29 रहा। ★
- जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-17 में अद्यतन लगभग 28.697 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2014-15 में 10300 हजार हेक्टेयर एवं वर्ष 2015-16 में 10029 हजार हेक्टेयर रहा।
- सर्वाधिक सिंचित जिले- दतिया (66.46%), श्योपुर (60.76%), मुरैना (52.96%) ग्वालियर (52.13%)
- न्यूनतम सिंचित जिले- डिण्डोरी (0.58%), मंडला (7.26%), अनूपपुर (2.29%)

कुल कृषि रकबे का सिंचित प्रतिशत : 31.28
कुल बोया गया क्षेत्रफल (2014-15) : 23913 हजार हेक्टेयर
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2014-15) : 15454 हजार हेक्टेयर
कुल सिंचित रकबा : 8965 हजार हेक्टेयर
शुद्ध सिंचित रकबा (2014-15): 9584 हजार हक्टेयर
सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र : उत्तरी मध्य प्रदेश
सर्वाधिक कुंआ सिंचित क्षेत्र : मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश
सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला : दतिया
सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र : पूर्वी मध्य प्रदेश

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र

चम्बल घाटी (उत्तरी मध्य प्रदेश) क्षेत्र से : ग्वालियर,मुरैना, दतिया।
बुन्देलखण्ड क्षेत्र से : टीकमगढ़।
नर्मदा घाटी क्षेत्र से : होशंगाबाद।

- मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुंए (69.49 प्रतिशत) है इसके बाद नहरें (द्वितीय 17 प्रतिशत) और तालाब (तीसरे 2.3 प्रतिशत) है। (2011 के अनुसार)
- राज्य के नदी बेसिनों में 81.5 अरब घन मीटर जल है।
- राज्य में शुद्ध भूमिगत जल की उपलब्धता 35.03 अरब घन मीटर है।
- सबसे कम भू-जल भण्डार बुरहानपुर जिले में तथा सबसे अधिक सम्भावित भूमिगत जल होशंगाबाद जिले में है।
- राज्य में शुद्ध सतही जल की मात्रा 56.80 अरब घन मीटर है।
- राज्य में प्रति वर्ष उपलब्ध सभी प्रकार के जल की मात्रा 91.80 अरब घन मीटर है।
- अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में है।
- अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में है।
- सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र दतिया जिले में (66.46 प्रतिशत) तथा सबसे कम डिंडोरी जिले में 0.58 प्रतिशत है।
- पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं है।
- राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 45.7 प्रतिशत (2012-13) भाग पर सिंचाई होती है।
- विद्युत पम्प सेट का सर्वाधिक प्रयोग मालवा एवं निमाड़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है।
- भूमिगत जल के विकास का न्यून स्तर मण्डला में (5.6 प्रतिशत तथा अधिकतम रतलाम में (117.3 प्रतिशत) है।
- राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, शाजापुर और रतलाम जिलों में होता है। इस कारण इन पांचों जिलों को **'काला जिला'** कहा जाता है।
- डीजल पम्पों का प्रयोग मुख्य रूप से चम्बल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में होता है।
- राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तवा परियोजना के द्वारा होती है।
- अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया एवं शहडोल जिलों में की जाती है।
- तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट एवं सिवनी जिले में की जाती है।
- नलकूपों द्वारा सिंचाई का संकेन्द्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है।
- कुओं द्वारा सिंचाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है।
- पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इन्दौर जिले में होती है।
- चम्बल घाटी, बालाघाट, बुन्देलखण्ड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें है।,
- माताटीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते है।
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया था।
- मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास के लिए 1956 में **जल संसाधन** विभाग की स्थापना की गई।
- मध्यप्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई।

(★ मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण - 2016-17)

सिंचाई के स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

वर्ष	तालाब	नलकूप/कुऐं	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2014-2015	273.1	6403.0	1261.6	9584.0	15454	23913	62.0
2015-2016	262.1	6198.8	1141.1	9284.5	15252	23817	60.9

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2015-16 में 2750.39 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था जबकि वर्ष 2016-17में माह जनवरी 2017 तक 2869.79 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।★

सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

वर्ष	वृहद् एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग
2014-2015	1633.10	758.90	2392.00
2015-2016	1968.71	781.68	2750.39
2016-2017 (जनवरी 2017 तक)	1975.39	894.40	2869.79

(★ मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण - 2016-17)

विवाद समाधान के लिए गठित की गई समितियाँ

1. खौसला कमेटी - 1964
2. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण - 1969
3. सैफुद्दीन सोज समिति-2006 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित।
4. शुंगलू समिति- विस्थापन की समस्या हेतु।

भारत में सिंचाई कार्यों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है- बड़े सिंचाई कार्य और छोटे सिंचाई कार्य 1978-79 से योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं का नया वर्गीकरण चालू किया है-

(क) **बड़ी सिंचाई योजनाएँ :** इनमें वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियंत्रण-आधीन 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल हो।

(ख) **मध्यम सिंचाई योजनाएं :** इनमें वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियंत्रण-आधीन 2,000 से 10,000 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल हो।

(ग) **छोटी सिंचाई योजनाएँ :** इनमें वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियंत्रण-आधीन 2,000 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल हो।

मध्यप्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएँ

चंबल घाटी परियोजना :-

- चंबल घाटी परियोजना मध्यप्रदेश की पहली परियोजना है। इसका प्रारंभ 1953-54 में हुआ था, जो मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
- इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर गाँधी सागर बांध, मंदसौर में (11 मेगावाट)राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ के रावटभाटा में (172 मेगावाट) तथा जवाहर सागर बांध (कोटा), कोटा बैराज (99 मेगावाट) स्थित है।
- इस परियोजना के प्रथम चरण में 11 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य था।
- इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट हैं।

बाण सागर परियोजना :-

- यह मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो सोन नदी पर निर्मित है।
- इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है।
- यह परियोजना 1979 से प्रारंभ की गई तथा शहडोल के देवलोद के पास बांध निर्मित है।
- इसमें मध्यप्रदेश का हिस्सा 2,46,689 हेक्टेयर है।

नर्मदा घाटी परियोजना :-

- नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित यह परियोजना मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है।
- 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया।
- इस परियोजना में 29 वृहद्, 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएँ सम्मिलित है।
- इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी बांध (पुनासा, खण्डवा) तथा सरदार सरोवर गुजरात के नौगांव में स्थित है।
- इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट है।
- मध्यप्रदेश के खण्डवा जिल के घोघला गांव एवं हरदा के खरदना गांव में नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा गांधी सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों द्वारा 26 जुलाई 2012 से 13 सितम्बर, 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह शुरू हुआ।

राजघाट परियोजना :-

- बेतवा नदी पर स्थित यह परियोजना मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना (1972) है।
- राजघाट परियोजना को माताटीला तथा लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है।
- **चोरल नदी** परियोजना मध्यप्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है।
- **केन बेतवा लिंक परियोजना** मध्यप्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश की 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी तथा 72 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होगा।
- केन बेतवा लिंक परियोजना के लिये 25 अगस्त 2005 को मंजूरी मिली।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- केन नदी क्षेत्र का केचमेंट एरिया 28058 वर्ग किमी. है, जिसमें 24472 वर्ग किमी. क्षेत्र म.प्र. में तथा शेष उत्तर प्रदेश में आता है।
- **नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना** नवम्बर, 2012 से प्रारंभ की गई। यह परियोजना तीन चरणों में पूर्ण होगी।
- **जल अभिषेक अभियान** की शुरूआत 2 अप्रैल 2006 से की गई।
- **जल आवर्धन योजना** का शिलान्यास धार जिले के दिलावारा क्षेत्र में किया गया।
- **नर्मदा जल योजना** का केन्द्र सरकार के सहयोग से होशंगाबाद के पिपरिया में शिलान्यास किया गया।

मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएँ

परियोजना का नाम	नदी	लाभान्वित जिलें	अन्य वर्णन
चंबल (1954) निर्माण तीन चरणों में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज	चंबल	श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, मंदसौर ग्वालियर,	यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित। यह मध्यप्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह देश की दूसरी बडी नदी घाटी परियोजना हैं।
नर्मदा घाटी परियोजना (1984)(सरदार सरोवर,इंदिरा सागर, महेश्वर एवं ओंकारेश्वर बांध)	नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियां	नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले व गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रदेश।	3000 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन तथा 27.5 लाख हक्टेयर सिंचाई। इंदिरा सागर (1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई) ओंकारेश्वर बांध (2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई)
बरगी परियोजना (रानी अवंतीबाई सागर परियोजना)	नर्मदा	जबलपुर, मंडला, सिवनी	1.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई (69 मी. ऊंचा बांध), इसका प्रारंभ 1971 में हुआ।
बरगी अपवर्तन	नर्मदा, बरगी नगर	जबलपुर, कटनी रीवा, सतना	2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई
जोबट- (चंद्रशेखर आजाद परियोजना)	हथनी नदी	अलीराजपुर	9848 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता
अपरवेदा	वेदा	खरगौन	523 वर्ग किमी. क्षेत्र
सीतारेखा	सीतारेखा	छिंदवाडा, धार	15 मेगावाट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा
तवा परियोजना	तवा	होशंगाबाद जिला	3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 20 हजार किलोवाट विद्युत उत्पादन
हलाली परियोजना (सम्राट अशोक सागर)	हलाली	विदिशा, रायसेन	(निर्माण 1973-76) सिंचाई क्षमता वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचाई क्षमता 37637 हेक्टेयर
बाण सागर परियोजना	सोन नदी	रीवा, सीधी	405 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 1.53 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 1978 से प्रारम्भ
माताटीला बांध परियोजना (रानी लक्ष्मीबाई परियोजना)	बेतवा	मध्यप्रदेश के 6, उत्तर प्रदेश के 4 जिले	मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। मध्यप्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र/उ.प्र. में 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगी।
पेंच परियोजना	पेंच	बालाघाट, छिंदवाडा	यह म. प्र. महाराष्ट्र की परियोजना है, 63338 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। (म.प्र. का छिंदवाड़ा एवं महाराष्ट्र के नागपुर)
बाघ परियोजना	बाघ	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	सिरपुर गांव में बांध बनाया गया है व महाराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई होगी।
बावनथड़ी (राजीव सागर)	बावनथड़ी	बालाघाट(मध्य प्रदेश) व भंडारा (महाराष्ट्र)	मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। मध्यप्रदेश में 18615 हेक्टेयर व महाराष्ट्र में 17357 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 1978 से प्रारम्भ।
काली सागर	बाघ	मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र	बाघ की पूरक परियोजना है।

gkexams.com

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

केन बहुउद्देशीय (ग्रेटर गंगऊ)	केन	छतरपुर, पन्ना	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की परियोजना है।
अपर नर्मदा	नर्मदा	डिण्डोरी	18616 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई।
लोअर गोई	गोई	बड़वानी	13760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता
हालोन	हालोन	मण्डला	11736 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई।
पुनासा	इंदिरा सागर	खंडवा	35008 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई।
मान	मान नदी	मनावर (धार)	15000 हेक्टेयर सिंचाई, 2006 से प्रारम्भ
उर्मिल परियोजना	उर्मिल	छतरपुर	मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश में 60:40 अनुपात में बंटवारा
सिंहपुर बैराज	उर्मिल	छतरपुर	उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित
बारना	बारना(बाड़ी गांव बांध)	रायसेन- सीहोर	60290 हेक्टेयर सिंचाई
भांडेर नहर	बेतवा	दतिया, ग्वालियर, भिण्ड	44,535 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता
अपर बैनगंगा (संजय सरोवर योजना)	बैनगंगा	बालाघाट, सिवनी	वार्षिक सिंचाई क्षमता 1,03,722 हेक्टेयर का लक्ष्य है। 1972 से प्रारम्भ
थावर परियोजना	थावर	मंडला	18212 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। 1977 से प्रारंभ।
कोलार परियोजना	कोलार उर्मिल बांध उ. प्र. नहर निर्माण म. प्र. द्वारा	सीहोर	सीहोर में 45087 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल की उपलब्धता 60887 हेक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता।
माही परियोजना	माही नदी, उद्गम- धार	धार, झाबुआ	दो बांध, दो नहर, 18517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता।
सुक्ता परियोजना	सुक्ता	खण्डवा	18583 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई।
सिंध परियोजना	सिंध	शिवपुरी, ग्वालियर	35200 हेक्टेयर पर सिंचाई
रनगवां परियोजना	केन की सहायक नदी	छतरपुर	मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, छतरपुर में 16190 हे. सिंचाई होगी।
चोरल नदी	चोरल	महू, इंदौर	500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 1978 में स्वीकृत
देजला-देवड़ा	कुन्दा	खरगौन	9000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई।

gkexams.com

प्रमुख नहरें व क्षेत्र

नहर	नदी	लाभांवित क्षेत्र
बैनगंगा	बैनगंगा	बालाघाट, महाराष्ट्र का भण्डारा जिला
चंबल नहर	चंबल	भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच आदि
हलाली नहर	बेतवा	विदिशा, रायसेन
बारना नहर	बारना	होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर
तवा नहर	-	होशंगाबाद
राजघाट बायीं तट की नहर	-	शिवपुरी, गुना व दतिया
राजघाट दायीं तट की नहर	-	टीकमगढ़
दतिया नहर	-	दतिया व ग्वालियर

- राज्य का पहला ग्राम न्यायालय नीमच में स्थापित।
- राज्य में ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण।
- अन्नपूर्णा-सूरज धारा (कृषि विकास हेतु योजना) वर्ष 2000-01 में शुरू की गई।
- राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना वर्ष 2010-11 में शुरू की गई।
- मध्यप्रदेश में अफीम का उत्पादन मंदसौर जिले में सर्वाधिक।
- श्योपुर- चावल की सर्वाधिक उत्पादन दर (राज्य में)।
- बालाघाट- राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जिला।
- राज्य में सर्वाधिक कृषित भूमि वाला जिला उज्जैन है।
- कोसी-निब्रा परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- भूदान आन्दोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आन्ध्रप्रदेश से आरंभ किया गया था।
- झूंमिग कृषि पूर्वोतर प्रदेशों में सामान्यत: होती है।
- भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतनंगर (उत्तराखण्ड) में की गई थी।
- डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
- मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है।
- जलोढ़ मृदा का PH मान 7 से अधिक होता है।
- बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है।
- एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन सयंत्र उज्जैन में है वही **राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय** इंदौर में है।
- सोयाबीन उत्पादन में म.प्र. भारत में प्रथम स्थान पर है। अधिक उत्पादन के कारण एम.पी. को **सोयाबीन स्टेट** भी कहते है।
- मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत न्यूनतम 1000 व्यक्ति वाली जनसंख्या वाले गांव को पेयजल की सुविधा दी जाएगी।
- कपास की कृषि के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है।
- बी.एम. व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है।
- वित्तीय सहायता हेतु अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 माह (सवासाल) होती है।
- पारिस्थितिकीय कृषि 21वीं सदी के लिए आवश्यक मानी जा रही है।
- परमाकल्चर पारिस्थितिकी कृषि का पर्याय है।
- सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलरीकल्चर कहते है।
- दीनदयाल चलित अस्पताल योजना में 2006 से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र - रतलाम
- प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि- 0.25 हेक्टेयर
- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय - जबलपुर
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (2008) का मुख्य उद्देश्य ''गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना'' है।
- हलाली परियोजना म.प्र. के के विदिशा जिले में स्थित है । इस परियोजना का अन्य नाम सम्राट अशोक परियोजना है। इससे लाभान्वित जिले विदिशा एवं रायसेन है।
- लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2006 में शुरू।
- भारत की प्रथम जैविक खेती ईकाई इंदौर में स्थापित।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं
- मनरेगा के अन्तर्गत सभी जिले आते है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवा पर सर्वाधिक राशि का प्रावधान।
- कुएं एवं नलकूप राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है।
- प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला मुरैना है।
- म.प्र. में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है।
- कृष्ण क्रांति का संबंध वैकल्पिक ऊर्जा से है।
- केन्द्रीय आलू संस्थान कुफरी में है।
- कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था हैं
- कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना वर्ष 2005 से शुरू।
- अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि पाइ जाती है।
- विश्व खाद्य दिवस- 16 अक्टूबर।
- धूसर क्रांति - उर्वरक उत्पादन
- 'स्वजल धारा' योजना केन्द्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना- में बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण आवास शामिल है।
- भमि सुधार राज्य सूची का विषय है।
- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना वर्ष 2004 में शुरू।
- ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम (1970) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू।
- भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है। प्रदेश में जबलपुर एवं सागर संभाग में सर्वाधिक होता है। तेंदूपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है।
- 3 फरवरी, 2001 को पानी रोको अभियान शुरू हुआ था।
- जमनापारी बकरी की मुख्य नस्ल है जो उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में मिलती हैं बकरी की अन्य नस्ल बखरी, बीतल, सूर्ता में मेहसाना गई है।
- लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के शैक्षिणक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु है।
- बीजो की श्रृंखला में प्रजनक बीज सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्धता वाले होते है।
- सूबबूल नामक वृक्ष की पत्तियों से पशुओं को अधिकतम प्रोटीन मिलता है।
- कड़कनाथ मुर्गो की एक नस्ल है प्रदेश में झाबुआ क्षेत्र में पाया जाता है इसके खून का रंग काला होता हैं।
- ''दो बीघा जमीन'' फिल्म में ग्रामीण भारत के किसानों की समस्या का चित्रण है।
- डॉ. वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है।
- 1 जुलाई से 30 जून भारत में कृषि वर्ष होता है। क्योंकि भारत में मानसून जून और जलाई के महीने में आता है।
- जीरा की खेती सर्वाधिक गुजरात में।
- DAP - डाइ अमोनियम फॉस्फेट
- मध्यप्रदेश में अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु बलराम ताल योजना है।
- कपिलधारा योजना - निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा के विकास के लिए किये जाने वाले कार्य जैसे नवीन कूप, भू-जल पुनर्भरण श्वेत तालाब, स्टापडेम लघुतालाब का निर्माण कराया जाता है।
- एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते है।
- यूरिया खाद में नाइट्रोजन तत्व होता है।
- IR-36 धान की प्रजाति है।
- खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान 1950-51 में 55.40 प्रतिशत था, जो 2013-14 में 13.9 प्रतिशत रह गया।
- सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का वर्ष 2015-16 में हिस्सा 17 प्रतिशत है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

मध्यप्रदेश : कृषि संबंधी प्रमुख संगठन एवं योजनाएँ

संगठन/योजनाएँ	स्थापना वर्ष
मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम	1958
मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम	1969-1970
लघु कृषक विकास अधिकरण	1971
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1972
सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम	1975
मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम	1977-1978
एकीकृत विकास योजना	1978
मध्यप्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम, भोपाल	1980
मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	1980
राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	1982
समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम	1988-1990
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1999-2000
अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना	2000-2001
उद्यानिकी मिशन	2006-2007

मध्यप्रदेश : कृषि विकास योजनाएँ/कार्यक्रम

योजनाएँ/कार्यक्रम	स्थापना वर्ष
समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम	1988-90
थ्रस्ट परियोजना	1989
सतत गन्ना विकास कार्यक्रम	1995-96
रासायनिक उर्वरक वितरण कार्यक्रम	1996
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1999-2000
अन्नपूर्णा-सूरजधारा	2000-01
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	2005-06
बलराम ताल योजना	मई, 2017
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	1 नवम्बर, 2007
विपुल उत्पादन कार्यक्रम	2009-10
जैविक एवं टिकाऊ खेती (नापेड) कार्यक्रम	2009-10
किसान लक्ष्मी योजना	2013-14

मध्यप्रदेश : पशुपालन विकास संबंधित योजना एवं कार्यक्रम

योजनाएँ/कार्यक्रम	स्थापना वर्ष
सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम	1970
विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम	1975-1976
गो-सेवक योजना	2 अक्टूबर,1997
ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन योजना	1999-2000
नंदीशाला योजना	26 जनवरी, 2005
राष्ट्रीय डेयरी योजना	2007-2008
बैंक ऋण अनुदान पर दुधारू पशु इकाईयों का प्रदाय	2008-2009
अनुदान पर बकरी इकाइयों का प्रदाय	2008-2009
गोपाल पुरस्कार योजना	-

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यaवस्थाZ

कृषि प्रतिरूप

भारत में तापमान वर्षा उच्चावच मिट्टी के प्रकार एवं पशुओं के सहसंबंध के कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। **अतः स्थलीय रूप से भारत में निम्न प्रतिरूप पाए जाते है-**

1. **गेंहू, गन्ना प्रदेशः** इसमें उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान को सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आते है जहाँ वर्षा 100cm होती है। ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में काफी कम अन्तर पाये जाने के कारण यहाँ रबी एवं खरीफ दोनों फसलें पैदा की जाती है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

2. **चावल, जूट, चाय प्रदेश:** इस प्रदेश में तापमान वर्ष भर ऊँचा रहता है तथा वर्षा 150cm से अधिक होती है। इस प्रदेश में चावल महत्वपूर्ण फसल है जिसकी वर्ष में दो या तीन फसलें ली जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत गंगा का मैदान, पूर्वी एवं पश्चिमी तटोय प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी भारत को शामिल किया जाता है।
3. **मोटे अनाज एवं तिलहन प्रदेश:** यह प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेमी के मध्य होती है। कम वर्षा, कम उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचाई की कमो के कारण यहाँ मोटे अनाज एवं तिलहन की खेती होती है।
4. **मक्का प्रदेश:** यह भारत का शुष्क प्रदेश है जहाँ वर्षा 50 cm सेमी से भी कम होती है। इस प्रदेश के अंतर्गत प. राजस्थान, उत्तरी गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक को शामिल किया जाता है।
5. **कपास प्रदेश:** यह काली मिट्टी का प्रदेश है जिसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पठार कर्नाटक तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा 50 से 100 सेमी होती है।
6. **फल एवं सब्जी प्रदेश:** इसके अंतर्गत हिमालय एवं पूर्वोतर के पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते है। कश्मीर, पंजाब व हिमाचल, यू.पी. उत्तराखण्ड, असम, अरुणाचल आदि। सेब, अनानास, नाशपाती, लीची, अंगूर, चेरी, अखरोट आदि फलों तथा टमाटर, आलू, मटर जैसी सब्जियों की खेती की जाती है।

भारतीय कृषि मंत्रालय के वैज्ञानिकों के **आधुनिक शोधों के द्वारा एक नई प्रकार की फसल प्रतिरूप** की आवश्यकता देखी जा रही है। जो निम्न प्रकार की है।

1. **एक फसली कृषि**– इस प्रकार की कृषि प्रतिरूप में एक समय में एक स्थान पर एक फसल की कृषि की जाती है। इस प्रकार का प्रतिरूप मुख्य रूप से विकसित राज्यों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा तमिलनाडु इत्यादि) में गेंहू, चावल और नगदी फसलों में देखी जाती है।
2. **दो फसली कृषि**– इस प्रकार की कृषि प्रतिरूप में एक स्थान पर एक वर्ष में दो फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रतिरूप भारत की अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है।
3. **चक्रीय फसल प्रतिरूप** (Rotational cropping)– इस फसल प्रतिरूप में फसलों को एक निश्चित क्रम में समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार उगाया जाता है। जैसा कि भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियों में अपनाया जाता था, एक प्रकार की फसल की कृषि करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। इस कारण फसल प्रतिरूपों में परिवर्तन से भूमि के उपजाऊ क्षमता को पुन:एकत्रित करने में सहायता मिलती है। जैसे- भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होने पर, यहां पर दलहनी फसलों का उगाया जाना।
4. **मिश्रित फसल प्रतिरूप**–इस प्रकार को फसल प्रतिरूप में एक समय में एक स्थल पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है। भारत में मिश्रित फसल प्रतिरूप अधिक विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है, मुख्यत: खरीफ के फसल के समय पर।
5. **सघन फसल प्रतिरूप**– भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में अत्यधिक लोगों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस प्रकार की फसल प्रतिरूप अत्यधिक आवश्यक है। इसमें एक वर्ष में कई फसलों को एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है।

कृषि पद्धतियाँ

देश की प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा मिट्टी में भिन्नता होने के कारण भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार की खेती होती है। खेती की निम्नांकित पद्धतियां है–

1. **तर खेती**– यह विशेषत: उन भागों में की जाती है जहां साधारणतया वर्षा 200 सेण्टीमीटर या अधिक होती है, जैसे मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, दक्षिणी बंगाल, मालाबार तट, असोम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। इन भागों में दो या दो से अधिक बार बिना सिंचाई के भूमि से गन्ना, चावल, जूट आदि की फसलें प्राप्त की जाती है। इन्हीं भागों में देश का अधिकांश बागान कृषि एवं वार्षिक कृषि पौध का विस्तार भी मिलता है।
2. **आर्द्र खेती**– यह विशेषकर कांप मिट्टी और काली मिट्टी वाले प्रदेशों में की जाती है। जहां वर्षा 100 से 200 सेण्टीमीटर के बीच होती है। ऐसे भाग मध्यवर्ती गंगा का मैदान, कोंकण तट, उत्कल तट, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है जहां प्राय: दो फसलें पैदा की जाती है। कभी-कभी **जायद फसलें** भी उत्पन्न कर ली जाती है। यहां पर पिछले 30-35 वर्षों से उन्नत सिंचाई तन्त्र का भी शुष्क मौसम में निरन्तर उपयोग किया जाता रहा है।
3. **सिंचित खेती**– उन प्रदेशों में की जाती है जहां 50 से 100 सेण्टीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसे भाग पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र पदेश, गंगा का पश्चिमी मैदान, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेश है। यहां सिंचाई द्वारा गेंहू, चावल, गन्ना आदि फसलें पैदा की जाती है। अब दक्षिणी पठार के शुष्क व कम वर्षा वाले भागों, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान तथा हरियाणा के शुष्क भागों में गहरे नलकूप एवं नहरों द्वारा व्यापक स्तर पर सिंचाई का विकास कर वर्ष भर उन्नत कृषि तन्त्र का लाभ उठाया जाता है। यहां प्राय: दो व तीन फसलें पैदा की जाती है।
4. **पहाड़ी खेती**– विशेषकर हिमालय और दक्षिण के पठारी ढालों पर की जाती है। यहां पहाड़ी ढालों को सीढ़ियों के आकार में काटकर छोटे खेत बना लेते हैं और उसमें बड़े परिश्रम के साथ आलू, चावल, मसाले अथवा चाय पैदा कर लेते है। इस प्रकार की खेती असोम, हिमालय के पहाड़ी ढालों, पश्चिमी घाट, अरावली के ढालों आदि पर की जाती है।
5. **झूम कृषि / चलवासी / स्थानान्तरित कृषि**– यह एक स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है जिसे असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखण्ड

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

आदि प्रदेशों की जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे भू-भाग वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर उनको जला दिया जाता है, तथा इस भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। उर्वरता समाप्त हो जाने पर यही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह पर अपनाई जाती है।

6. **निर्वाहक अन्नोत्पादक कृषि**– भारत में अनादिकाल से निर्वाहक कृषि प्रचलित रही है। इस प्रणाली में छोटे खेतों में पशु तथा मानव शक्ति प्रयुक्त करके, पुराने ढंग के उपकरणों की सहायता से घरेलू माँग की पूर्ति करने के लिए खाद्य फसलें उगायी जाती हैं। इस कृषि में सिंचाई की सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ स क्षति, उन्नत बीजों, उर्वरकों, पीड़कनाशकों, कीटनाशकों आदि का न्यून प्रयोग, मृदा अपरदन की समस्या, कम उपज की प्राप्ति, किसानों का निम्न जीवन स्तर, ऋणग्रस्तता आदि दोष पाये जाते हैं। इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है तथा वर्ष में दो या तीन फसलें सघन रूप से उगायी जाती है। खाद्यान्न, दालें, तिलहन,सब्जियाँ आदि घरेलू माँग के लिये उगाये जाते हैं।

7. **वाणिज्यिक अन्नोत्पादक कृषि**– नयी कृषि रणनीति के अन्तर्गत सिंचाई, उन्नत किस्म के अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों, फार्म मशीनरी आदि पर विशेष बल दिया गया है। कृषि की यह नयी विधि विगत तीन दशकों में देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अपनायी गयी है। यह एक पूँजी-सघन कृषि है, जिसमें फसलों का अधिशेष (surplus) उत्पादन बाजार में लाभ कमाने के लिये किया जाता है। इससे भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ निर्यात के लिए भी उत्पादन करने लगा है।

8. **बागानी कृषि**– भारत में बागानी कृषि का प्रारंभ ब्रिटिश शासन काल में यूरोपीय बाजारों में चाय, कहवा तथा रबड़ की माँग को पूरा करने के लिए किया गया। असम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों, कुमायूँ (उत्तरांचल) तथा नील गिरि की पहाड़ियों में चाय के बागान लगाये गये। कहवा तथा रबड़ के बागान कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में सीमित है। ये बागान विशाल फार्मो पर विस्तृत हैं तथा वाणिज्यिक स्तर पर छोटे कारखाने की भांति इनका प्रबंध किया जाता है। लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बागान विस्तृत है।

9. **रैंचिंग खेती**– इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई गुड़ाई आदि नहीं की जाती और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे- भेंड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती आस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेंड़, बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातव्य है कि आस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़, बकरी रखने वालों को रैंचर की संज्ञा दी जाती है।

10. **विस्तृत कृषि**– विस्तृत आकार वाली जोतों के बड़े-बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु कुल उत्पादन काफी अधिक होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है।

11. **समोच्च खेती**– ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग-अलग दो बिन्दुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कण्टूर कहते है। ढाल के विपरीत कण्टूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना, समोच्च खेती कहलाती है। इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी का समान वितरण तथा विभिन्न कृषि कार्यों में समय की बचत होती है।

12. **सीढ़ीदार कृषि**– खेती की वह विधि जिसमें अधिक ढालू भूमि पर, ढाल को सीड़ियांनुमा परिवर्तित कर खेती की जाती है, सीढ़ीदार कृषि कहलाती है। यह खेती असम तथा हिमालय के पहाड़ी ढालों पर की जाती है।

13. **कार्बनिक खेती**– खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों कवकनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता अपितु जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि की संज्ञा प्रदान की जाती है। खेती की इस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है।

14. **'ले' खेती**– कृषित फसलों (जो वार्षिक जुताई चाहती है) के फसल-चक्र में, दो वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना, 'ले' फार्मिंग कहलाता है।

15. **ट्रक फार्मिंग**– यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों-फूलों की कृषि है, जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में हुआ है।

16. **बहुफसली शस्यन**– बहुफसली फसलोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कई फसलों को अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत पर उगाया जाता है। इन फसलों के जीवन काल के बीच में अन्तराशस्य लेने से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार के फसलोत्पादन योजना हेतु कम समय में तैयार होने वाली, अधिक उपज देने वाली तथा अत्यधिक उर्वरक उपयोग क्षमता वाली फसलों की प्रजातियां तथा सिंचाई, खाद व उर्वरकों की समुचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। इसकी निम्नलिखित विधियां है-(A) अंतरा सस्यन, (B) सतत् सस्यन, (C) अनुपद सस्यन / असतत् सस्यन, (D) मिश्रित सस्यन।

(A) **अंतरा संस्यन**– एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाने की कृषिकला को अंतरा सस्यन कहते है। उदाहरणतः गेहूँ + सरसों। इसका मुख्य उद्देश्य दो फसलों के रिक्त स्थानों को अधिक फसलोत्पादन हेतु उपयोग में लाना है।

(B) **सतत् सस्यन**– किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना सतत् सस्यन कहलाता है। ऐसे सस्यन में पहले फसल के कटते ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है अर्थात् आगामी फसल की बुआई

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

तथा पूर्ववर्ती फसल की कटाई एक शीघ्र क्रम में होती है। मक्का की कटाई/तुड़ाई के तुरंत बाद आलू को उगाना तथा आलू को खोदकर तुरंत मिर्च को लगाना सतत् सस्यन का उदाहरण है।

(C) **अनुपद सस्यन**– अनुपद सस्यन की अवधारणा 'रिले दौड़' से आई है। रिले दौड़ में चार धावक अपने हाथ में झंडे को लेकर दौड़ते है। पहला धावक अपने दौड़ के अंतिम चरण से पहले ही दूसरे धावक को तथा दूसरा तीसरे को और तीसरा धावक चौथे को अपना झंडा बढ़ा देता है। अनपद सस्यन में झंडे का स्थान खेत है तथा धावक का स्थान फसल ले लेती है। इसमें पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले हो आगामी फसल को लगा दिया जाता है लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। इसके लिए आगामी फसल की बोआई पूर्ववर्ती फसल की कार्यिकी परिपक्वता के बाद ही करनी चाहिये।

(D) **मिश्रित सस्यन**– जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास या अनुपात के साथ-साथ उगाई जाती है तब उसे मिश्रित सस्यन कहते है। ऐसे सस्यन में बीजों की बोआई छिड़काव विधि से होती है।

17. **दियारा खेती**– इसे नदियारी, Bowl like structure की खेती भी कहते है। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद, वर्षा ऋतु के अंत में, उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते है। इसमें नदियों के किनारे की भूमियां भी सम्मिलित है। पूर्वी उ. प्र. एवं बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्र इसके उपयुक्त उदाहरण है।

मिश्रित कृषि :– मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन पर भी उतना ही बल दिया जाता है। फसल एवं पशु पालन का एक अच्छा संयोजन इस कृषि की विशेषता है। इस कृषि में फसल केवल खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ही नहीं पैदा की जाती बल्कि इनके साथ-साथ चारे की तथा नगदी फसलें भी उसी पैमाने पर उगाई जाती है।

डेयरी कृषि :– दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की नगरीय माँग की आपूर्ति हेतु दुधारु पशुओं, विशेषत: गायों के पालन को डेयरी फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। डेयरी कृषि का विकास यूरोप में औद्योगीकरण से सह-संबंधित नगरीकरण के कारण हुआ है। नगरों में जनसंख्या की वृद्धि से दुग्ध उत्पादों की माँग में वृद्धि हुई जिसकी आपूर्ति के लिए डेयरी कृषि विकसित हुई।

उद्यान कृषि :– उद्यान कृषि के मुख्य उत्पाद फल एवं फूल है। फल-फूल की कृषि कृषक अपने उपभोग के अतिरिक्त व्यापार के लिए करते हैं। इन उत्पादों की भी मांग नगरों में अधिक है। फलों एवं फूलों में बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है।

सहकारी खेती :– सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित कृषि है। इसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व उन सभी किसानों का सामहिक रूप से होता है जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं। किसान स्वेच्छा से सहकारिता को अपनाते हैं। प्रजातांत्रिक सिद्धांतो के आधार पर इसकी कार्यकारिणी के सदस्य दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं। हर सदस्य सहकारी खेतों पर अपना श्रम देता है। सहकारी खेती की विशेषता यह है कि इसमें जोत का आकार बड़ा हो जाने के कारण मशीनीकरण किया जा सकता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव होता है तथा बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जा सकता है।

18. **शुष्क क्षेत्र कृषि**– यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 75 सेमी. से कम पायी जाती है। यह कृषि द. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में की जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम तथा अनिश्चित पायी जाती है जिस कारण यह क्षेत्र अक्सर सूखे की चपेट में रहते है। ज्वार बाजरा, मक्का, कपास, मूँगफली, दालें एवं तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें।

अनुबन्धित खेती

अनुबन्धित खेती के अन्तर्गत किसान तथा फर्म / एजेन्सी के बीच एक अनुबन्ध होता है जिसमे किसान को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी समस्त कृषि / बागवानी उत्पादन की आपूर्ति फर्म को करनी होती ह। कृषक को सम्बन्धित वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर निर्धारित समय के अनुरुप आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है जबकि अनुबन्धित फर्मों को पूर्व निर्धारित मूल्य एवं प्रक्रिया के अनुरुप किसान को भुगतान सुनिश्चित करना होता है।

कॉरपोरेट खेती :– यदि किसी उद्योगपति द्वारा स्वंय कृषि कार्य संपादित किया जाय तो उसे Corporate-Farming कहते हैं। जबकि Contract Farming में किसान स्वयं अपनी भूमि पर कृषि कार्य करता हैं।

फर्टीगेशन (Fertigation) :-फर्टीगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लांट (पौधों) या फसलों को दिए जाने वाले प्लान्ट पोषक तत्व (Plant nuitrants) सिंचाई के माध्यम से दिए जाते हैं। इस विधि के प्रयोग से उर्वरक की 25% की बचत होती है तथा पौधों को दिए जाने वाले पोषक तत्व का पौधों द्वारा पूर्ण उपयोग होता है।

वहनीय (पोषणीय) कृषि :-भूमि की निरंतर जुताई तथा जल संसाधनों के अतिशय दोहन के कारण इन संसाधनों को भारी क्षति पहुँची है। बड़े पैमाने पर सिंचाई के विकास ने मिट्टी की लवणता तथा जल सिक्ती की समस्याओं को उग्र बना दिया है। पौध संरक्षण में रसायनों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टियां प्रदूषित हो गयी हैं तथा पौधे (खाद्य पदार्थ) विषाक्त हो गये हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकटकारी है। अब समय आ गया है कि हम वहनीय कृषि तथा वहनीय सिंचाई अपनाने के बारे में सोचे जो आर्थिक रूप से उचित हो तथा पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हो साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कृषिगत उत्पादों की जरूरत के अनुसार कृषि की जाए। पारिस्थितिकी तथा मानव स्वास्थ्य पर हरित क्रांति के हानिकारक प्रभावों के प्रति चिंता के कारण वैकल्पिक कृषि प्राविधिकी ढूँढने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। अब वैज्ञानिक कृषि में 'जीन-क्रांति' की वकालत कर रहे हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को पीड़कनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। चावल, सरसों, कपास तथा अनेक सब्जियों की आनुवाशिक रूप से पीड़क प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। यही नहीं, हरित क्रांति के विकल्प के रूप में इकोफार्मिंग जिसे 'जैविक कृषि' या

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

'फुकुओका-कृषि' या 'वहनीय कृषि' भी कहा जाता है, को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, उत्पादकता बढ़ाने के लिये टिश्यू-कल्चर जैसी जैव-प्राविधिकी का अधिक मात्रा में प्रयोग आवश्यक है, जो श्रम सघन होने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी फलदायी है। इको-फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशकों के स्थान पर 'जैव-उर्वरकों' तथा 'जैव-पीड़कनाशकों' के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है।

शस्य गहनता (Intensity of Cropping)

शस्य गहनता कुल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और इसे निम्न सूत्र की सहायता से समझा जा सकता है-

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{कुल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

राष्ट्रीय उद्यान कृषि बोर्ड (एनएचबी) :- भारत सरकार ने संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में **राष्ट्रीय उद्यान कृषि बॉर्ड** (एनएचबी) की स्थापना भी इस उद्देश्य के साथ की है कि उद्यान कृषि क्षेत्र में ठोस विकास को बढ़ावा दिया जाए और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन तथा संसाधन को समन्वित, प्रेरित और संपोषित करने में मदद भी कि जाए। यह उत्पादन, संसाधन तथा विपणन के क्षेत्र में ठोस मूल संरचना स्थापित करना चाहता है, कटाई उपरांत प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर, ताकि हानि को कम किया जा सके।

भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान -भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा उद्यान कृषि फसलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) की स्थापना की गई ताकि उनकी उत्पादकता, गुणता और उपयोगिता में सुधार किया जा सके। यह भारत का प्रमुख संस्थान है जो पूरी तरह देश में उद्यान कृषि की उत्पादकता बढ़ाने को समर्पित है।

राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन:-केन्द्र द्वारा समर्थित एक योजना के रूप में 'राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन (एनएचएम)' उद्देश्य क्षेत्र आधारित प्रादेशिक रूप से विभेदित नीतियों के माध्यम से उद्यान कृषि क्षेत्र की संपूर्ण वृद्धि को आगे बढ़ाया जाएं। इनमें शामिल हैं अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन, संसाधन और विपणन, जो हर राज्य प्रदेश के तुलनात्मक लाभ और उसके विविध कृषि-जलवायविकी लक्षण के साथ संगत हो।

एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम :- 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एमआईडीएच) शुरू किया गया है जिसमें बागवानी की सभी वर्तमान स्कीमों को एक ही मिशन के तहत लाया गया है गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, संरक्षित कृषि के जरिये उत्पादकता सुधार के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन हेतु अवसंरचना सृजन के साथ-साथ एकीकृत कीट रोग प्रबंधन और एकीकृत पाषक तत्व प्रबंधन को अपनाने पर एमआईडीएच में ध्यान केन्द्रित किया गया है।

कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार

भारत में कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार की शुरूआत 2003-04 में की गयी। कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार का संचालन नेशनल कमॉडिटी एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। कृषिगत उत्पादों के लिये नेशनल कमॉडिटी एक्सचेंज ने 3 मई, 2005 को एक सूचकांक सृजित किया, जिसे NCD EXAGRI नाम से जाना जाता है। यह सूचकांक देश में पहला कमॉडिटी सूचकांक है। जनवरी 2007 में कृषि क्षेत्र में चावल तथा गेंहू के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा कीमतों के अत्यधिक बढ़ने के कारण किया गया।

दिसम्बर, 2008 में आठ में से चार जिंसों अथार्त चना, सोया तेल, रबर और आलू में वायदा व्यापार के निरस्तीकरण को निरस्त करते हुए वर्ष 2009 आशा के संचार के साथ प्रारम्भ हुआ। इसके बाद मई, 2009 में गेंहूं व्यापार के निरस्तीकरण को रद्द किया गया। तथापि, चीनी में वायदा व्यापार 30 सितम्बर, 2010 तक निरस्त किया गया। वर्ष के दौरान, भारतीय जिंस बाजार (आईसीईएक्स) नामक एक नया राष्ट्रीय जिंस बाजार अस्तित्व में आया। इसके अलावा, अहमदाबाद जिंस बाजार को राष्ट्रीय जिंस बाजार का दर्जा देकर अनुमोदित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।

2014-15 दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन उप-योजनाओं के रूप में छः उप-योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :-

- प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देना।
- किसानों को खेती के प्रगतिशील तरीके, उच्च मूल्य (आगत) इनपुट और कृषि में उच्चतर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- खेती से होनेवाली आय को विशेष रूप से आपदा के वर्षो में स्थायित्व देने में मदद करना।

रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को मंजूरी प्रदान कर दी है। कमियों को दूर करने और इसे अधिक समग्र एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तनों/रूपांतरणों का समावेश कर रूपांतरित NAIS का निर्माण हुआ है।

योजना को पायलट आधार पर 50 जिलों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में 2010-11 की रबी फसल से केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जाएगा। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए 358 करोड़ रू. के बजटीय प्रावधान को भी मंजूरी दी जा चुकी है। रूपांतरित योजना के आरंभ होने पर यह उम्मीद की जाती है कि बड़ी संख्या में किसान कृषि

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

उत्पादन में होने वाले जोखिम का प्रबन्धन बेहतर तरीके से कर पाएंगे और कृषि से होने वाली आय को स्थिर रखने मे, खासकर प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में, सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय बांस मिशन :–बागवानी मिशन के तर्ज पर नवंबर 2004 में राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय किसान आयोग :– फरवरी 2004 में राजग सरकार द्वारा पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। परंतु मई 2004 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रीय किसान आयोग का पुनर्गठन किया गया। डॉ स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

राष्ट्रीय बीज नीति :– 18 जून, 2002 को राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गयी। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुपालन के साथ-साथ देश के बीज उद्योग को सुदृढ़ बनाना है। इस नीति का सृजन एम.वी. राव समिति की अनुशंसा पर किया गया था।

क्लाईमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर

- FAO खाद्य एवं कृषि द्वारा कृषि खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन पर हेग सम्मेलन- 2010 में क्लाईमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को परिभाषित हुए इसे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बताया है।
- यह एकीकृत रूप से सतत विकास तीन आयामो (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण) के द्वारा खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनातियों का समाधान करता है।
- इसके तीन मुख्य आधार है:–
  1. सतत् कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि।
  2. जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और लचीलेपन का निर्माण
  3. जहां तक संभव हो ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।

ग्राम ज्ञान केंद्र:–किसान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नाबार्ड द्वारा ज्ञान ग्राम केंद्र स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005-06 के बजट में 100 करोड़ की लागत से ग्राम ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। सरकार का यह कदम गांवों और शहरों के बीच सूचना प्राप्त करने के लिए पुल का कार्य करेगा।

किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल:–21 जनवरी, 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ किया गया। किसान कॉल सेंटर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश के आठ प्रांतों में ग्रामीणों की सहायता और मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसान बिना कोई शुल्क अदा किए 1551 नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसान कॉल सेंटर पर हमेशा विशेषज्ञ उपस्थिति रहते हैं और किसानों को उनके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधी प्रश्नों की जानकारी उपलब्ध कराते है। यदि कृषि संबंधी किसी प्रश्न या समस्या का तत्काल समाधान संभव नहीं है तो बाद में प्रश्नकर्ता के फोन नंबर पर व उसके पते पर पत्राचार द्वरा समाधान उपलब्ध करा दिया जाता है।

ई-कृषि:–ई-एग्रीकल्चर मार्केटिंग की शुरूआत मध्य प्रदेश में की गयी है। इसके तहत सभी मंडियों एवं अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट को कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों एवं मंडी मुख्यालय से संबद्ध किया जाएगा।

यह योजना बीओटी (निर्माण-स्वामित्व-परिचालन एवं स्थानांतरण) फॉर्मूला पर आधारित है। यह एकल खिड़की योजना है, जिसके तहत ग्राहकों को एक छत के नीचे विकल्प के साथ सामान्य सेवाएं उपलब्ध करायीं जाती है।

किसान एस.एम.एस. पोर्टल प्रणाली:– भारत सरकार ने किसान एस.एम.एस. पोर्टल के नाम से किसानों के लिए एक एस.एम.एस. पोर्टल की शुरूआत की है। इस सुविधा के माध्यम से किसान कृषि के संबंध में अपनी आवश्यकताओं, स्थान और अपनी भाषा के अनुरूप सलाह और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च :–यह कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यो के लिए भारत सरकार का शीर्ष निकाय है। इसके दो भाग हैं–जनरल बाडी जो इसका सर्वोच्च प्राधिकरण है तथा जिसके पदेन अध्यक्ष भारत सरकार के कृषि मंत्री होते हैं तथा दूसरा शासित निकाय। शासित निकाय इसकी मुख्य कार्यकारिणी और निर्णय लेने वाली संस्था है। महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है। आईसीएआर दो मिशनों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। ये मिशन हैं- 'फार्मर्स फर्स्ट' तथा 'स्टेडेंट रेडी'। इस मिशन का उद्देश्य बड़ी साझेदारी को बढ़ावा देना है। दो अन्य प्रोजेक्ट हैं- राष्ट्रीय कृषि शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि उद्यमिता कार्यक्रम की योजना बन चुकी है।

ICAR Vision 2030:–इसका प्रमुख उद्देश्य सभी को खाद्यान्न व आजीविका सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन तथा सतत कृषि द्वारा लाभ पहुचाना है।

कन्सल्टेटिव ग्रुप आन इन्टरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च:– **यह** CIMMT, IRRI, ICRISAT, ICRADA तथा 11 अन्य सेन्टर का एक नेटवर्क है। ये वैश्विक शोध प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए ज्ञान तथा टेक्नोलाजी विकसित करना है जो कृषकों को नि:शुल्क उपलब्ध है।

भूमि अभिलेख प्रबंधन

ई-गवर्नेस सेवाओं की मदद से भूमि अभिलेखों को सुगम बनाने और प्रबंध करने से बहुत ही कम समय में लाखों भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण करने में मदद मिली है। **"भूमि"** एक ऐसी ही ई-गवर्नेस भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली परियोजना है जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसे आम नागरिकों के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। पंजाब सरकार की भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, उत्तराखंड सरकार की **देवभूमि परियोजना**, उत्तर प्रदेश सरकार की **भू-लेख परियोजना** और गुजरात सरकार की **ई-धारा** परियोजना ऐसे ही उद्देश्यों के लिए शुरू की गई कुछ अन्य आधुनिक भूमि अभिलेख प्रणालियां हैं। भूमि अभिलेख प्रणालियां प्रबंधन प्रणाली को निम्नलिखित आंकड़ा व सर्वेक्षण विशेष परियोजनाआं द्वारा प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है :-

1. **भूमि अभिलेखों का व्यापक आधुनिकीकरण**– आंध्र प्रदेश सरकार ने यह परियोजना संपत्ति और खेत के पंजीकरण, अद्यतनीकरण और नामांतरण का समेकन करने के लिए शुरू की थी। यह परियोजना सरकार द्वारा संचालित किए गए खेत सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर कार्य करती है।
2. **ज्ञानदूत** –मध्य प्रदेश के धार जिले में एक इंट्रानेट परियोजना है। इसके तहत ग्रामीण साइबर कैफे का एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिन्हें सूचनालय

कहा जाता है। ये ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करते हैं।

3. **भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकरण**– इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य है जिला स्तर पर ताजा आवंटन, भूमि का अंतरण, उद्देश्य है जिला स्तर पर ताजा आवंटन, भूमि का अंतरण, अधिकृत भूमि का नियमितीकरण आदि का कंप्यूटरीकरण।

DACNET :- यह कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत ई-तकनीक के प्रयोग की आधारभूत योजना/नेटवर्क है

पश्च फसल-प्रबंधन :-पश्च फसल-प्रबन्धन (Post Harvest Management) किसानों हेतु कृषि उत्पादों के उचित एवं लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करने के संदर्भ में अत्यंत पश्च-फसल प्रबन्धन को भंडारण, परिवहन और विपणन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसके जरिए पश्च फसल-बर्बादी की चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है। इससे न केवल कृषि-उत्पादों की मात्रात्मक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को, बल्कि उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। और, सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसका सीधा फायदा किसानों को उनके कृषि-उत्पादों पर बेहतर प्रॉफिट-मार्जिन के रूप में मिलेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के बावजूद अपेक्षाकृत कम कीमत चुकानी होगी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) :- कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश के आधार पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गयी। 1985 में APC का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि उक्त आयोग का मुख्यालय नई-दिल्ली में स्थित है। यह आयोग अपनी स्थापना के समय से ही कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), खरीद या वसूली मूल्य (PP) तथा आवंटन मूल्य (IP) का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देती है, परंतु केन्द्र सरकार इसकी सस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य– यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद कर उनके हित की रक्षा कर सकती है। अनिवार्य लेवी की स्थिति में सरकार किसानों को बाध्य करती है कि वे अपने उत्पादन को समर्थित मूल्य पर सरकार को बेच दे।

यह वह न्यूनतम मूल्य है जो किसानों को अपनी फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। न्यूनतम मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने से पहले करती है। यह एक प्रकार का बीमा है जिसे सरकार किसानों को उस स्थिति से संरक्षित करने के लिए देती है जब अच्छी फसल तथा अधिक पूर्ति के बाद मूल्य में गिरावट हो। उल्लेखनीय है कि 2013-14 में जिस फसलों की बिक्री होनी है उनके संबंध में रबी तथा खरीफ के संबंध में सरकार ने MSP की घोषणा कर दी है। 2011-12 तथा 2013-14 के MSP में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, वह भी तब जब कि खाद्यान्नों के ग्लोबल मूल्य में बढ़ने की प्रवृत्ति है।

वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य का क्रयमूल्य– यह वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ के समय करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज की खरीद करती है। इस मूल्य को निर्धारित करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि एक ओर कृषकों को अगले वर्ष वस्तु के उत्पादन की प्रेरणा मिले दूसरी ओर कमजोर वर्ग को भी उचित मूल्य पर कृषि वस्तुएं प्राप्त हो सकें। वसूली मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद (कटाई के समय) की जाती है। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो सकती है पर कम नहीं जैसे न्यूनतम समर्थित मूल्य के ऊपर सरकार द्वारा बोनस देकर क्रय करना। यह मूल्य मांग एवं प्रर्ति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक भी हो सकता है जब अच्छी फसल के कारण बाजार मूल्य से नीचे हो जायें।

दोहरी मूल्य निर्धारण पद्धति– इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2006 में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेन्सीज द्वारा गेहूं की वसूली में 38% की कमी आयी थी क्योंकि निजी व्यापारियों ने किसानों को सरकारी मूल्य से ऊंचा मूल्य दिया था। इसलिए सरकार कृषि वस्तुओं के संबंध में दोहरी मूल्य निर्धारण नीति अपनायेगी, जिसके अंतर्गत सरकार कृषि लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थित मूल्य के अलावा किसानों को एक परिवर्तनीय दर भी देगी जो खुले बाजार मूल्य के परिवर्तनों के साथ जुड़ा होगा। इसके पीछे तर्क यह है कि इसके अंतर्गत किसानों को जहां एक ओर न्यूनतम समर्थित मूल्य गारण्टीड मूल्य के रूप में होगा वहीं दूसरी ओर यदि बाजार मूल्य बढ़ा तो बोनस के रूप में अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त होगा, जो स्थिर नहीं होगा बल्कि बाजार की दशाओं के अनुसार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा।

निकासी मूल्य– निकासी मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार केन्द्रीय भण्डारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को या आटा मिलों को अनाज निर्गमित करतो है। इस प्रकार यह वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम राज्यों या राज्य अधिकृत एजेन्सियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करता है।

आर्थिक लागत– भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत के तीन घटक होते है- (1) किसानों को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बोनस, (2) खरीद संबंधी सहायक खर्च, (3) वितरण लागत। आर्थिक लागत में प्रशासनिक व्यय नहीं जोड़ते।

बाजार मूल्य– बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य बाजार मूल्य कहलाता है।

कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य–प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में वूसली मूल्य या न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा सरकार वर्ष दो बार रबी और खरीफ के मौसम में करती है। वसूली या न्यूनतम मूल्य की घोषणा सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर करती है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 24 महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करता

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

है। वे अनाज जिनके लिए सी.ए.सी.पी. न्यूनतम समर्थित मूल्य की सिफारिश करता है, वे है- धान, गेंहू, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। यह चार दालों चना, अरहर, मूंग एवं उड़द तथा छः तिलहनों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, रेपसीड, कुसुम्म तोरिया और नारियल के लिए भी मूल्य की घोषणा करता है। यह चार खाद्य भिन्न फसलों- कपास, जूट, गन्ना और तम्बाकू के लिए भी समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। CACP गन्ने के संबंध में उचित तथा लाभकारी मूल्य की संस्तुति करता है पर किसानों को क्या प्राप्त होगा इसकी घोषणा राज्य सरकार करती है।

MSP पर विभिन्न समितियां :- सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए **अभिजीतसेन समिति** का गठन किया था। इस समिति ने C_2 लागत का विचार दिया इसमें दृश्य मदों की लागत के साथ-साथ अदृश्य मदों (श्रम) को लागत को भी जोड़ने की संस्तुति की गई।

अतः C_2= पूरी उत्पादन लागत + पट्टे पर ली गई भूमि पर लगान + परिवार श्रम का आरोपित मूल्य + अपनी पूंजी पर ब्याज

इससे आगे बढ़ते हुए **हनुमंत राव समिति** ने C_3 लागत का विचार दिया और कहा कि C_2 लागत के साथ-साथ उसमें किसान के प्रबंधन लागत के रूप में C_2 लागत के 10% और मूल्य को लागत के रूप में जोड़ा जाए। अतः $= C_3 = C_2 + C_2$ का 10%

अंततः राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कहा कि MSP को निर्धारित करने में सिर्फ लागत ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए बल्कि इसको किसानों के लिए और लाभकारी बनाने की जरूरत है और इसके लिए लागत के साथ-साथ उसका 50% लाभ के रूप में जोड़ा जाए।

इसी प्रकार **हुड्डा समिति** ने भी लागत के साथ 50% लाभ के रूप में जोड़ने तथा लागत आकलन को और अधिक उपयुक्त बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही समिति ने आलू, प्याज जैसे निरन्तर उपयोग होने वाली सब्जियों के संबंध में भी MSP के निर्धारण का सुझाव दिया।

भारतीय खाद्य निगम :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) द्वारा किया जाता है। 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों व अन्य सामग्री की खरीददारी, भंडारण व संग्रहण, स्थानान्तरण, वितरण तथा बिक्री का काम करता है। निगम एक ओर तो यह निश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिले (जो सरकार द्वारा निर्धारित वसूली/समर्थन कीमत से कम न हों) तथा दूसरी ओर यह निश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को भंडार से एक-सी कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध हों (उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित कीमत 'निर्गमन कीमत' या issue price कहलाती है जिसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है)। निगम को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सरकार की ओर से खाद्यान्नों के प्रतिरोधक भंडार (buffer stocks) बना कर रखे। हाल के वर्षों में गेहूं और चावल के बढ़ते उत्पादन के कारण भारतीय खाद्य निगम की भूमिका भी बढ़ गई है।

वाधवा समिति की रिपोर्ट :- पीडीएस सुधारों के प्रश्न पर गठित वाधवा समिति ने सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा "राज्य सरकारें पीडीएस रिफॉर्म के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सब्सिडी बाँटकर खुश है और राज्य सरकारें राशन की दुकानें खोलवाकर।" तमिलनाडु के पीडीएस सुधारों का हवाला देते हुए इसने कहा "तमिलनाडु में सार्वभौम पीडीएस व्यवस्था लागू करने से वहाँ रिसाव (leakage) को रोकने में कामयाबी मिली है,"

लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना :- खाद्य सहायता के बढ़ते हुए भार को कम करने के उद्देश्य से तथा उसे उन लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, भारत सरकार ने 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना (Targeted Public Distribution Scheme) लागू की। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया। इस गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था थी जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली :- इसका आरंभ जून 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत सूखा उन्मुख क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तथा शहरों की गंदी बस्तियों से 1775 खण्डों का चयन किया गया था। 15 अगस्त, 1995 से इसे 2,446 विकास खण्डों में लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं (गेंहू, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल एवं कोयला) के अतिरिक्त चाय, साबुन, दाल, आयोडीन नमक आदि को भी शामिल कया गया है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की बिक्री केन्द्रीय निर्गमन कीमतों से 50 रुपये कम पर की जाती है।

ग्रामीण भंडारण योजना :- कृषिगत भंडारण, विपणन संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण देश में अनाज एवं फल सब्जी की बड़े पैमाने पर बारबांदी होती है। एक अनुमान के अनुसार देश में एक-तिहाई फल-सब्जी और 10-12 प्रतिशत अनाज उपयुक्त भंडारण सुविधाओं के कारण नष्ट हो जाते है जिसका कुल मूल्य 58,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज को स्थानीय साहूकारों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। उन समसस्याओं को दूर करने के लिए 2001-02 में ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों हेतु वैज्ञानिक भंडारण सुविधा का सृजन, कृषि उत्पादन के ग्रेडिंग, मानकीकरण, क्वालिटी नियंत्रण को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) पशुधन उत्पादन के तरीकों ओर सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

- गठनः 1970
- मुख्यालयः करनाल, हरियाणा
- यह ऐसी एजेंसी है जो परियोजना को कार्यान्वित करती हैं।
- वित्तीयनः केंद्र व राज्य का अनुपात 50:50 है।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रमः- 'नॉन-ऑपरेशन फ्लड पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध, उत्पादन और विकास परियोजना की समेकित डेयरी उपलब्धता' (आईडीडीपी) नाम से यह योजना 1993-94 में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर शुरू की गई थी।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

श्वेत क्रांति :– देश में दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि लाने के लिए किए गए प्रयासों को समग्र रूप से श्वेत क्रांति कहा गया है भारत की अधिकांश जनता कुपोषण से पीड़ीत है। दूध जो प्रोटीन और कैल्सियम जैसे तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका उत्पादन बढ़ाने से न सिर्फ भारतीय भोजन में पोषक तत्वों की बढ़ोत्तरी होगी बल्कि दुग्ध उत्पादों पर आयात निर्भरता को समाप्त करने की आवश्यकता थी।

श्वेत क्रांति मुख्य रूप से तीन चरणों में हुई।

1. **प्रथम चरण–** Operatin Flud (ऑपरेशन फ्लड-I)– इसकी शुरूआत 1970 में की गई। इस चरण में गुजरात तथा देश के दूसरे महानगरों में डेयरियों की स्थापना की गई।
2. **दूसरा चरण (ऑप्रेशन फ्लड-II)**– (1980-81)– इस चरण में दुधारू पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था हेतु चारागाहों का विकास पर जोर दिया गया साथ ही पशुओं के नस्लों में सुधार और पशुयंत्रों पर नियंत्रण के लिए शोधकार्यों को प्रधानता दी गई और डेरियों की संख्या में विस्तार किया।
3. **तीसरा चरण** – III (1985-अब तक)– इसके अन्तर्गत देश के उन शेष गांव, राज्यों में जहाँ डेयरी उद्योग विकसित नहीं हो पाए थे वहाँ विभिन्न दुग्ध उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई।

पशुधन बीमा योजना :– पशुधन बीमा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 मं प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई थी। यह योजना देश के 300 चयनित जिलों में नियमित रूप से चलाई जा रही है।

पशुधन बीमा योजना की शुरूआत दो उद्देश्यों, किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान स सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु तथा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताने तथा इसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। योजना के अंतर्गत देशी/संकर दुधारू मवेशियों और भैंसे का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम दो पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम तीन साल की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

19वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना

- 3 सितंबर, 2014 को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी, एवं मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रकाशित 19वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना, 2012 को जारी किया गया।
- उल्लेखनीय है कि देश में पशुधन संगणना वर्ष 1919 में प्रारंभ हुई थी तथा तब से यह देश में विभिन्न वर्गों की पशु प्रजातियों की गणना करने के लिए सामान्यत: प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार आयोजित की जा रही है। पिछली पशुधन संगणना (18वीं) वर्ष 2007 को संदर्भ वर्ष लेते हुए की गई थी।
- 19वीं पशुधन संगणना के अनुसार वर्ष 2012 में देश में कुल पशुधन, जिसमें गोवंशीय (Catle), भैंस (Buffalo), भेड़, बकरी, सूअर घोड़े एवं टट्टू, खच्चर (Mule), गधे, ऊंट, मिथुन और याक शामिल हैं, की संख्या 512.05 मिलियन रही जो वर्ष 2007 की संगणना (529.70 मिलियन) की तुलना में लगभग 3.33 प्रतिशत कम है।
- 19वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत 37.28, भैंसों का 21. 23, बकरियों का 26.40, भेड़ों का 12.71 एवं सूअरों का 2.01 है। विगत पशुधन संगणना में इनका प्रतिशत क्रमश: 37.58, 19.89, 26.53,13.50 एवं 2.10 था। 2012 की पशुधन संगणना में अन्य पशुओं का प्रतिशत 0.37 है।
- वर्ष 2012 में देश में कुल बोवाइन (Bovine. गोवंशीय, भैंस, मिथुन एवं याक) पशुओं की संख्या पिछली संगणना से 1.57 प्रतिशत घटकर 299.9 मिलियन के स्तर पर है।
- इसी अवधि में देश में कुल गोवंशीय पशुओं (आवारा पशुओं के अतिरिक्त) की संख्या 4.1 प्रतिशत की कमी के साथ 190.90 मिलियन तथा कुल भैंसों की संख्या 3.19 प्रतिशत की वृद्धि में साथ 108.70 मिलियन के स्तर पर रही है।
- 2007 की तुलना में 2012 में देश में पशुधन संख्या में अच्छी वृद्धि गुजरात (15.36 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (14.01 प्रतिशत), असम (10.77 प्रतिशत), पंजाब (9.57 प्रतिशत), बिहार (8.56 प्रतिशत), सिक्किम (7.96 प्रतिशत), मेघालय(7.41 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (4.34 प्रतिशत) में दर्ज हुई है।
- वर्ष 2012 में देश में दुधारू (दूध दे रही और सूखी) गायों एवं भैंसों की संख्या 2007 के 111.09 मिलियन से बढ़कर 118.59 मिलियन हो गई, जो कि 6.75 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
- इसी अवधि में दूध दे रही गायों और भैंसों की संख्या 77.04 मिलियन से बढ़कर 80.52 मिलियन (4.51 प्रतिशत अधिक) हो गई।
- पिछली पशुधन संगणना की तुलना में 2012 में मादा गोवंशीय पशुओं (गायों) की संख्या 6.52 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 122.9 मिलियन के स्तर पर रही।
- मादा भैंसों की संख्या इसी अवधि में 7.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 92.5 मिलियन पर पहुंची।
- इसी अवधि में विदेशी/संकर नस्ल की दुधारू गायों की संख्या 14.4 मिलियन से बढ़कर 19.42 मिलियन (34.78 प्रतिशत अधिक) तथा देशी नस्ल की दुधारू गायों की संख्या 48.04 मिलियन से बढ़कर 48.12 मिलियन (मात्र 0.17 प्रतिशत ही अधिक) हुई है।
- दुधारू भैंसों की संख्या इसी अवधि में 4.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48.64 मिलियन से बढ़कर 51.05 मिलियन हो गई है।
- पशुधन संगणना, 2012 के अनुसार देश में कुल भेड़ों की संख्या 65.06 मिलियन है, जो विगत संगणना (2007) से लगभग 9.07 प्रतिशत कम है।
- बकरियों की संख्या इसी अवधि में 3.82 प्रतिशत कम होकर 135.17 मिलियन के स्तर पर आई है।
- पिछली पशुधन संगणना की तुलना में 2012 में देश में सूअरों की संख्या 7.54 प्रतिशत कम होकर 10. 29 मिलियन के स्तर पर है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- इसी अवधि में घोड़ों एवं टट्टुओं की संख्या 2.08 प्रतिशत बढ़कर 0.62 मिलियन एवं खच्चरों की संख्या 43.34 प्रतिशत बढ़कर 0.19 मिलियन पर पहुंची है जबकि ऊटों की संख्या 22.48 प्रतिशत कम होकर 0.4 मिलियन तथा गधों की संख्या 27. 22 प्रतिशत कम होकर 0.32 मिलियन पर आ गई है।
- देश में कुल मिथुन और याक की संख्या इसी अवधि में क्रमशः 12.98 प्रतिशत वृद्धि एवं 7.64 प्रतिशत कमी के साथ क्रमशः 0.29 मिलियन एवं 0.07 मिलियन के स्तर पर है।
- देश में कुल कुक्टुटों (Poultry) की संख्या (कुल पशुधन में शामिल नहीं) पिछली संगणना की तुलना में 12.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2012 में 729. 2 मिलियन रही है।
- देश में कुत्तों की संख्या (आवारा कुत्तों के अतिरिक्त, कुल पशुधन में शामिल नहीं) 2007 के 19.08 मिलियन से 38.85 प्रतिशत की कमी के साथ 2012 में 11.67 मिलियन रह गई है।

विभिन्न पशुओं के शीर्ष प्रतिशत वाले राज्य

- **गोवंशीय पशु:** 1 मध्यप्रदेश , 2. उत्तर प्रदेश , 3. पश्चिम बंगाल, 4. महाराष्ट्र , 5. राजस्थान।
- **भैंस** :1. उत्तर प्रदेश , 2. राजस्थान, 3. आंध्र प्रदेश 4. गुजरात 5. मध्य प्रदेश।
- **भेड़** : 1. आंध्र प्रदेश-संयुक्त, 2. कर्नाटक 3. राजस्थान 4. तमिलनाडु, 5. जम्मू एवं कश्मीर ।
- **बकरी:** 1. राजस्थान, 2. उत्तर प्रदेश, 3. बिहार , 4. पश्चिम बंगाल, 5. आंध्र प्रदेश-संयुक्त।
- **सूअर** : 1. असम 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखण्ड , 4. बिहार 5. पश्चिम बंगाल।
- **ऊंट:** 1. राजस्थान, 2. गुजरात, 3. हरियाणा 4. बिहार 5. उत्तर प्रदेश।
- **घोड़े एवं टट्टू:** 1. उत्तर प्रदेश 2. जम्मू एवं कश्मीर, 3. बिहार, 4. राजस्थान 5. महाराष्ट्र।
- **कुक्कुट:** 1. आंध्र प्रदेश-संयुक्त, 2. तमिलनाडु , 3. महाराष्ट्र 4. कर्नाटक, 5. पश्चिम बंगाल
- देश में दूध दे रहे कुल पशुओं की संख्या 19वीं पशुधन संगणना, 2012 में 116.77 मिलियन है जिसमें उत्पाद अनुसार भैंस का हिस्सा 31 प्रतिशत, बकरी का हिस्सा 31 प्रतिशत तथा गाय का हिस्सा 32 प्रतिशत (जिसमें देशी नस्ल से 26 प्रतिशत एवं विदेशी/संकर नस्ल से 12 प्रतिशत) है।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2014-15 में ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के साथ सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है।

स्वतंत्रता के बाद भारत मे भूमि सुधार :-स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भूमि सुधार के अन्तर्गत महत्वपूण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह निश्चय किया गया कि भूमि का स्वामित्व स्वंय कृषक को दिया जाय तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा और कृषि में उत्पादन बढ सकेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मध्यस्थों का लगभग अन्त कर दिया गया था परन्तु भूमि -सुधार के अन्य पक्षों पर काम करना शेष रह गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुद काश्तकारो के विचारो को अधिक सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। सीमा निर्धारण एंव सहकारी खेती के कार्यो को लागू करने पर भी विशेष जोर दिया गया। कृषि के पुनर्गठन के लिए भी आवश्यक सुझाव दिए गए थे। सत्तारूढ़ कॉंग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1969 में एक वर्ष में भूमि-सुधार आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई । केन्द्रीय भूमि-सुधार समिति ने अगस्त, 1971 में भू-सीमा को घटाकर 10 से 18 एकड के बीच में करने का सुझाव दिया। 12 जुलाई 1972 को कॉंग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भूमि-सुधारों पर अपने निर्णय घोषित किए थे। मार्च,1976 में मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन में 30 जून,1976 तक कार्यान्वित करने का कार्यक्रम घोषित किया। यह कार्य कागजो पर अधिक हुआ है और व्यवहार में कम। आज भी सरकार के समक्ष भूमि-सुधारो को कार्यान्वित करने की समस्या बनी हुई है। चूंकि भूमि सुधार राज्य के विषय के अन्तर्गत आता है, इसलिए सम्बन्धित कानून राज्य द्वारा बनाये गये। जमींदारी उन्मूलन की शुरूआत उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुयी और 1952 तक सभी राज्यों में इससे सम्बन्धित विधेयक पारित हो गया और ऐसा माना जाता है कि मार्च 1968 तक मध्य प्रदेश, पंजाब, आसाम, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा केरल में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया।

भूमि-सुधारो की प्रगति

काश्तकारी सुधार:- स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के सम्बन्ध में अनेक कानून बनाये गये तथा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, लगान की सीमा निर्धारित करना तथा उसका नियमन तथा काश्तकारों को भूमि का मालिक बनने का अधिकार प्रदान करना था। **नागालैंड, मेघालय** और **मिजोरम** को छोड़कर सभी राज्यों में काश्तकारी कानून लागू हैं जिससे काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राप्त हो सके। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है जो सकल उत्पाद के 1/5 से 1/4 से अधिक नहीं होगी। जहां खेती करने वाले काश्तकारों का खेती करने वाली भूमि पर स्वामित्वाधिकार का प्रश्न है आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब में अब भी स्थिति राष्ट्रीय स्तर के समान नहीं है। काश्तकारी सुधार की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, और केरल ने अधिक अच्छी प्रगति की है। पश्चिम बंगाल में **ऑपरेशन बर्गा** (Operation Barga) सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजना है जो 'फसल के बटाईदारों' (Shar Cropers) को संरक्षण देने तथा उन्हें विस्थापित करने की योजना है जिससे जमींदार जब चाहें तब उन्हें निकाल नहीं सकें। कर्नाटक में भूमि न्यायाधिकरण तथा केरल मे काश्तकार संघ के माध्यम से काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व दिलाया गया।

हरित क्रांति :-आजादी के बाद से ही भारतीय कृषि की दिशा व दशा बहुत अच्छी नहीं थी। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्यान्न की माँग बढ़ने

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

लगी। इसी बीच 1962 तथा 1965 की लड़ाई तथा उसके बाद पड़ने वाले भीषण सूखे के कारण अर्थव्यवस्था और चरमरा गयी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में आत्म निर्भरता लाने हेतु हरित क्रांति का नारा दिया।

नार्मन बारलॉग द्वारा विकसित गेहूँ की नवीन प्रजातियों को एम.एस. स्वीमानाथन और तत्कालीन कृषि मंत्री ए. स. सुब्रमण्यम के अथक प्रयास से भारत में प्रयोग के तौर पर लाया गया। इस नवीन प्रयोग के पश्चात भारतीय कृषि में वृहत परिवर्तन देखने को मिला। इस तकनीक के तहत उत्तर भारत में मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सरकार की तरफ से रसायन, औजार HYV बीज सही दामों पर उपलब्ध कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गयी। और तब से लेकर आज तक भारत गेहूँ की फसल में आत्मनिर्भर हो गया। यद्यपि हरित क्रांति का मुख्य जोर गेहूँ की फसल तक ही रहा था इसलिए इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आये। फिर भी उन्त किस्म वाले बीज का कार्यक्रम चावल, ज्वार, बाजरा व मक्का पर भी लागू किया गया। 1965-66 में 103 लाख टन गेहूँ का उत्पादन 1999-2000 में 756 लाख टन गेहूँ का उत्पादन हुआ।

हरित क्रांति से आशय 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है। जिनके कारण इनके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैड (Wellium Gadd) ने किया था।

- भारत में हरित क्रांति की शुरूआत 1960-61 में सघन कृषि जनपद कार्यक्रम (IADP) के माध्यम से हुई थी। इस कार्यक्रम की शुरूआत उ. प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, तमिलनाडु के सात चयनित जनपदों में की गयी थी। इसका मूल उद्देश्य किसानों को हक, खाद, बीज, औजार आदि उपलब्ध करवाना था तथा गहन खेती का ढांचा तैयार करवाना था।
- हरित क्रांति का प्रारम्भ सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी, उ. प्रदेश के गेहू क्षेत्र से पारम्भ हुआ था किन्तु 1983 में इसका प्रसार चावल क्षेत्र में भी हुआ।
- हरित क्रांति ने उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम (HYVP) पर अधिक जोर दिया जिससे उन्नत बीजों, सिंचाई की सुविधाओं, रसायनिक, उर्वरको नये कृषि यन्त्रों, विपणन एवं भण्डारण सुविधाओं में सुधार, कृषि प्रशिक्षण एवं शस्य प्रबन्धन के कारण उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुयी।

इन्द्रधनुषी क्रान्ति

इक्कीसवीं सदी में देश की बढती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2000 में एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया। इस कृषि नीति के तहत जोर दिया गया कि देश के समूचे कृषि उत्पादों को आगामी दस वर्षों में दो गुना किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन दर को 4 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर से निर्धारित किया गया है।

इन्द्रधनुष क्रांति के घटक

क्रांति	संबंधित क्षेत्र	क्रांति	संबंधित क्षेत्र
हरित क्रांति	खाद्यान्न उत्पादन	भूरी क्रांति	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत
श्वेत क्रांति	दुग्ध उत्पादन	रजत क्रांति	अंडा उत्पादन
पीली क्रांति	तिलहन उत्पादन	खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति	खाद्यान्न/फलों/सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिये
लाल क्रांति	टमाटर/मांस	स्वर्ण फाइबर क्रांति	जूट उत्पादन
सुनहरी क्रांति	सेब उत्पादन	सदाबहार क्रांति	कृषि का समस्त विकास
गुलाबी क्रांति	उर्वरक	गोल्डन क्रांति	समस्त बागवानी
		चांदी फाइबर क्रांति	कपास उत्पादन/अंडा उत्पादन

अकार्बनिक या रासायनिक खादें/उर्वरक (Inorganic or Chemical Fertilizers)- भूमि की उर्वरता बढ़ाते एवं अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए कारखाने में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाले पदार्थो को रासायनिक खाद या उर्वरक कहते हैं। इनमें पौधों के आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। पोषण के आधार पर इन्हें निम्न वर्गो में बाँटा जा सकता है-

नत्रजनी उर्वरक (Nitrogenous Fertilizers) :-इन उर्वरकों में नत्रजन या तो अधिक मात्रा में होती है या केवल नत्रजन ही पायी जाती है। नत्रजन कई रूपों में पायी जाती है। अतएव नत्रजनी खादों को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-

- अमोनियायुक्त- उदाहरण-अमोनियम सल्फेट (21%N), अमानियम क्लोराइड (25%N)
- (नाइटटयुक्त- उदाहरण - सोडियम नाइट्रेट, कैल्सियम नाइटट।
- एमाइड उर्वरक- ये कार्बनधारी उर्वरक हैं उदाहरण- यूरिया अर्थात $CO(HN_2)_2$।
- समस्त अकार्बनिक उर्वरकों में यूरिया ही एकमात्र कार्बनिक उर्वरक (Organic fertilizer) है।
- अमोनिया एवं नाइटट युक्त- उदाहरण - अमोनियम नाइटट (33%N)।

फास्फेटिक उर्वरक (Phosphatic Fertilizers)- नत्रजन के बाद सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला यह विशेष तत्व है। फास्फोरस वाले रसायनों में फास्फेट

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

कैल्सियम के साथ संयुक्त रहता है। कैल्सियम की मात्रा के अनुसार इन्हें अलग-अलग नाम दिया जाता है।

- **मोनोकैल्सियम फास्फेट**-इस वर्ग के उर्वरक साधारणत: पानी में घुलनशील होते हैं जिससे पौधे बहुत आसानी से सोख लेते हैं। अम्लीय मृदाओं तथा वे मृदाएं जिसमें आयरन व अल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इन उर्वरकों के प्रयोग से पानी में घुलनशील फास्फोरस अघुलनशील होकर मिट्टी में स्थिर हो जाती है जिसे फास्फोरस स्थिरीकरण कहते हैं।
- **डाई कैल्सियम फास्फेट**-ये अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त हैं। साइटिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस शीघ्र ही पानी में घुलनशील फास्फोरस में बदल जाता है तथा बहुत कम समय में यह आयरन व एल्युमिनियम के यौगिक बनाता है। बेसिक स्लैग (14-18% P_2O_5) इस्पात कारखानों से निकला सह-उत्पाद (by product) है जो एक अच्छा फास्फेट उर्वरक होता है। क्षारीय प्रवृति का होने के कारण बेसिक स्लैग अम्लीय को सुधारने के काम आता है।
- **टाई कैल्सियम फास्फेट** -ये साइटिक अम्ल तथा पानी दोनों में अघुलनशील होते हैं। राजस्थान में रॉक फास्फेट अधिक मात्रा में मिलता है।

पोटाशिक उर्वरक - पौधों के पोषक तत्वों में पोटाश का नम्बर नत्रजन और फास्फोरस के बाद आता है। प्रचलित पौटेशिक उर्वरक निम्नलिखित हैं-

- पोटैशियम क्लोराइड (KCl)(50-60% K_2O)
- पोटैशियम सल्फेट (K_2SO_4)(40-50% K_2O)
- पोटैशियम नाइट्रेट (KNO_3)(10-15% K_2O)

संयुक्त अथवा यौगिक उर्वरक :-कुछ ऐसे उर्वरक भी प्रयोग में लाये जाते हैं जिनमें दो पोषक तत्व मिलते हैं। इन उर्वरकों को संयुक्त अथवा यौगिक उर्वरक कहा जाता है। ये उर्वरक है- डी.ए.पी. (18% N,46%P_2O_5), अमोनियम फास्फेट (18% N, 18% P_2O_5), पोटेशियम नाइटट (13% N, 44% K_2O), मोनो अमोनियम फास्फेट (11%N, 48 % P_2O_5) आदि।

मिश्रित अथवा मिश्रण उर्वरक:- कुछ ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें तीन पोषक तत्व (नाइटोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) पाये जाते हैं। ऐसे उर्वरक को मिश्रित अथवा मिश्रण उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक के प्रयोग से समय व श्रम की बचत होती है तथा यह कम खर्चीला होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं- एन.पी.के. 12-32-16, एन.पी.के. 15-15-15 आदि।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड :- सरकार ने बंजर भूमि विकास हेतु 1992 में ''राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड'' का गठन किया है। इसके निम्न कार्यक्रम है- बंजर भूमि क्षेत्रों में-

1. चारे के विकास तथा ईंधन की लकड़ी पर बल देना
2. वक्षारोपण कार्यक्रमों में तेजी लाना
3. सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना
4. जनता तथा NGO का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम :-समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आई.डब्ल्यू.डी.पी., जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है वर्ष, 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एक अप्रैल, 1995 से इस कार्यक्रम को वाटरशेड विकास के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धन्तों के अन्तर्गत वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के विकास से सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी का बढ़ाए जाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्धि होने की आशा की जाती है

सिंचाई की प्रणालियां एवं विधियां

1. **सतह सिंचाई**- इस विधि में भूमि के सतह पर जल को सीधे बहाया जाता ह और जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जिधर ढलान होता है उधर ही बहने लगता है। इस विधि में कई तरीकों को अपनाया जाता है, जैसे-गड्ढे से पानी निकालना, बेसिन को बांधना, मेड़ और क्यारियां बनाना। सतह-सिंचाई प्रणाली में फसलों की कटाई के समय टूट गई क्यारियों को बोआई से पहले फिर से बनाया जाता है।
2. **रिंग और बेसिन विधि**:- इस विधि में पेड़ की जड़ो के निकट पानी डाला जात है, न कि पूरे खेत में। इसलिए इस विधि में जल की बचत होती है। सीमा पट्टी सिंचाई विधि में खेत को लंबी-लंबी पट्टियों में बांधकर उनके किनारों पर छोटे-छोटे समानान्तर गड्ढे बना दिये जाते हैं।
3. **उपमृदा सिंचाई**- इस सिंचाई प्रणाली में गहरी नालियों की शृंखला बनाकर खेतों की सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा नालियों को जमीन के अपारगम्य स्तर के नीचे के जल तक बनाया जाता है, जिससे पानो केपिलरी विधि से नीचे क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर दिशा में फैलकर पौधों की जड़ों को नमी देता है। जमीन के अपारगम्य स्तर में इस विधि से पानी के कृत्रिम टैंक बनाने से पौधों की जड़ो को लगातार नमी मिलती रहती है।
4. **छिड़काव-सिंचाई (Sprinkler Irrigation)** - इस विधि में फसलों या मिट्टियों की सतह पर ऊपर से फुहारे के रूप में पानी डाला जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें पानी को नियंत्रित रूप से आवश्यकता के अनुसार डाला जा सकता है तथा पानी का वितरण भी सभी जगहों पर बराबर रहता है। इस विधि का सभी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

5. **टपक-सिंचाई (Drip Irrigation)**- यह सिंचाई की ऐसी विधि है जिसमें जल को पौधे के जडो में बूंद-बूंद कर पहुँचाया जाता है। इसके द्वारा फसलों तक जल पोषक तत्वों और अन्य रसायनों को समान रूप से उचित मात्रा में पहुँचाया जा सकता है। इस विधि का विकास सर्वप्रथम इजराइल ने किया था। यह विधि उसर, रेतीली मृदा व बागो की सिंचाई के लिये अधिक उपयोगी है। इस विधि में PVC पाइप नॉजल लगाकर खेतों में लगायें जाते है। जिसके द्वारा जल निकलकर मृदा को धीरे-धीरे नम करता है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से 35-75% जल की बचत होती है। क्योंकि इसमें स्रावण एवं वाष्पन कम होता है।
6. **टैंक-सिंचाई**- भारत के प्रायद्वीपीय भाग में जहां चट्टानी ऊबड़-खाबड़ पठार है और वर्षा तथा नदियां बहुत अधिक मौसमी हैं, वहां टैंक-सिंचाई सर्वाधिक उपयुक्त तथा सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई-विधि है। हमारे देश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 12% भाग इसी विधि से सिंचित होता है। इस विधि में मैसमी धाराओं के जल को चट्टानों या मिट्टी द्वारा रोक कर उससे संकीर्ण नहरों को निकालकर उन्हें खेतों तक पहुंचाया जाता है।

सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन (NMMI) :- सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई) को एक मिशन के रूप में जून 2010 में आरम्भ किया गया था। NMMI पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तिलहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईएसओपीओएम), कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) आदि जैसे बडे सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देगा।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

केंद्रीय सरकार ने अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र है। इस कार्यक्रम में केंद्र द्वारा दी गई सहायता जो ऋण के रूप में थी, उसे वर्ष 2004-05 से अनुदान में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2006 दिसम्बर से एआईबीपी योजना में पुन: बदल करते हुए विशिष्ट वर्गीय राज्यों में सहायता को परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- देश का लगभग 19 प्रतिशत भाग सूखाग्रस्त है, जहाँ रहने वाली लगभग 12 प्रतिशत जनसंख्या इससे प्रभावित है। ये क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं, निम्न कृषि उत्पादकता, पेयजल एवं चारागाह की समस्या, मृदा क्षरण एवं प्रतिकूल पर्यावरण यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं।

अत: इन क्षेत्रों भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने तथा अतिरिक्त रोजगार निर्माण के उद्देश्य से 1973 में इन कार्यक्रम की शुरूआत को मई 1, अप्रैल, 1995 में यह कार्यक्रम जलसंभर विकास के लिए तय किए गए साझा-दिशा निर्देशों के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम हेतु वित्त की व्यवस्था अप्रैल, 1999 से केन्द्र राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में है तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 प्रखण्डों में चल रहा है (क्षे॰ 7.46)।

कमांड/कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

किसी नदी का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र उसका कमांड क्षेत्र कहलाता है। परंतु भारत में किसी सिंचाई परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र को कमांड क्षेत्र कहा गया है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। वर्तमान में (2004 से) यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम में ही शामिल कर लिया गया है।

परती भूमि सुधार कार्यक्रम

परती भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (एनआरएसएडीओएस) ने सन् 1986 में लैंडसैट टीएमए आईआरएस-एलआईएसएस द्वितीय और आईआरएस एलआईएसएस तृतीय आंकड़ों के माध्यम से 150000 मापक के आधार पर राष्ट्रव्यापी परती भूमि मानचित्रण का काम शुरू किया। यह परियोजना सन् 1986 से 2000 के बीच पांच चरणों में पूरी की गई। परती भूमि को 13 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया। करीब 63.85 मि. हेक्टेयर भूमि परतो भूमि के रूप में चिहिन्त की गई

- **भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का 0.3 प्रतिशत भाग कृषि शोध पर खर्च किया जाता है जबकि अमेरिका में 40 प्रतिशत है।**
- 2016-17 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत आकलित की गयी है।
- देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 48.9 प्रतिशत भाग कृषि एवं सहायक क्रियाओं से अपनी आजीविका कमाता है।
- देश का लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा सिंचित है। 45 प्रतिशत कृषि खेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
- वर्ष 2014-2015 देश के निर्यात में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का हिस्सा 12.1 प्रतिशत था।
- 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.98 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन है। इसके पहले वर्ष 2013-14 में 265 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ था।
- भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी मौसमी एवं छिपी प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती हैं
- 6वीं आर्थिक गणना के अनुसार देश के कुल प्रतिष्ठानों में से 15.3 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न थे।
- भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है क्योंकि वर्तमान तक बुआई क्षेत्रफल का 45.7 प्रतिशत भाग ही सिंचित है।
- सर्वाधिक सिंचित फसल गन्ना है। (94.3 प्रतिशत)
- **19वीं कृषि गणना के अनुसार वर्ष 2010-11 सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य हैं**-1)उत्तरप्रदेश 2) मध्यप्रदेश 3) राजस्थान 4) आंध्रप्रदेश 5) गुजरात

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- **कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं–**
  1) पंजाब 2) हरियाणा 3) उत्तरप्रदेश 4) पश्चिम बंगाल
  5) तमिलनाडु
- **क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य है –**
  1) महाराष्ट्र 2) राजस्थान 3) मध्यप्रदेश
- सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत असम (5.54 प्रतिशत) में पाया जाता है।
- **देश में सिंचाई के साधन –**
  1) नलकूप 2) नहर 3) कुँआ 4) अन्य
- **शीर्ष नहर सिंचित राज्य –**
  1) मिजोरम 2) ओडिशा 3) जम्मू कश्मीर 4) छत्तीसगढ़
- **शीर्ष नलकूप सिंचित राज्य –**
  1) पंजाब 2) उत्तरप्रदेश 3) उत्तराखण्ड 4) पश्चिम बंगाल
- भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। 64.18 प्रतिशत कृषित भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगायी जाती है। 2014 में 122 मि. हे. क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें उगायी गयी।
- देश के कुल कामगारों में से लगभग 31.7 प्रतिशत किसान कामगार है।
- भारत में औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ इसमें कमी होती जा रही है।
- कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति भूमि को उपलब्धता 0.1 हेक्टेयर थी।
- भारत में कृषि उत्पादकता अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है।
- भारत में आज भी कृषि निर्वाहक कृषि बनी हुई है क्योंकि कृषक अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन की योजना बनाता है।
- भारतीय किसान अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता हैं और बाजार की मांग को कम महत्त्व देता हैं
- कुल कृषि ऋण का 60 प्रतिशत संस्थागत क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है तथा 40 प्रतिशत साहूकार आदि से प्राप्त होती है।
- संस्थागत कृषि ऋण में सर्वाधिक ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है, दूसरा स्थान सहकारी बैंकों एवं तीसरा स्थान ग्रामीण बैंकों का ह।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का विकास दर लक्ष्य 4.0 प्रतिशत रखा गया है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 3.2 प्रतिशत प्राप्त की जा सकी है।
- विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 2004-05 में विशेष कृषि उपज योजना प्रारंभ की गयी थी।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1986 में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना की गयी।
- अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन को सम्मिलित किया जाता है।
- सकल कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पादन का हिस्सा 26 प्रतिशत है, जबकि पशुपालन उत्पाद में 66.5 प्रतिशत हिस्सा डेयरी क्षेत्र का है।
- बागवानी के तहत फल, सब्जी, मसाले, फूल तथा बागान फसलें आदि आते हैं। कृषि के GDP में इसका योगदान लगभग 30 प्रतिशत है।
- उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। जबकि उर्वरक उपभोग में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- **कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से शीर्ष राष्ट्र है –**
  1) अमेरिका 2) भारत 3) चीन 4) रूस
- कृषि जोत से आशय भूमि के उस क्षेत्रफल से होता है, जो प्रत्येक किसान परिवार के पास अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए उपलब्ध होता है।
- एक हेक्टेयर से कम आकार वाले जोत की सीमांत जोत कहा जाता है। भारत में 67 प्रतिशत जोतें सीमान्त जोत है।
- 1 से 2 हेक्टेयर वाले जोतों को लघु जोत कहा जाता हैं
- 2 से 4 हेक्टेयर वाले जोतों को अर्द्ध मध्यम जोत कहा जाता हैं
- 4 से 10 हेक्टेयर वाले जोतों को मध्यम जोत कहा जाता है।
- 10 हेक्टेयर या इससे बड़े जोत को वृहद् जोत कहा जाता है।
- क्रियाशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जोत नागालैण्ड तथा न्यूनतम औसत जोत आकार केरल में पाया जाता है।
- मध्यप्रदेश में क्रियाशील औसत जोत का आकार 1. 78 हेक्टेयर है।
- भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11.0 प्रतिशत ह।
- भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है।
- मध्यप्रदेश की कुल क्रियाशील जनसंख्या का 69.6 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न हैं
- मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत 0.25 हेक्टेयर कृषि भूमि है।
- मध्यप्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 53.2 प्रतिशत कृषि भूमि है तथा 50.5 प्रतिशत भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।
- मध्यप्रदेश में 2.7 प्रतिशत भूमि परती है तथा 3.3 प्रतिशत भूमि बंजर है। अतः लगभग 6 प्रतिशत भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश में 4.2 प्रतिशत भूमि चारागाहों के अन्तर्गत हैं
- मध्यप्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि उज्जैन जिले में (81.9 प्रतिशत) है तथा सबसे कम शुद्ध कृषित भूमि उमरिया (23.3 प्रतिशत) में है।
- मध्यप्रदेश में शस्य गहनता 155.9 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- मध्यप्रदेश में सर्वाधिक शस्य गहनता होशंगाबाद (202.6 प्रतिशत) में जबकि सबसे कम भिण्ड (112 प्रतिशत) में है।

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

- मध्यप्रदेश में सन् 1960 में मंडी अधिनियम पारित हुआ था जिसमें बाद के वर्षों में कई संशोधन किए गए।
- मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) की स्थापना 1973 ई0. में की गयी थी।
- वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 244 विनियमित मंडियाँ कार्यरत है।
- मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना 17 नवम्बर, 1980 को किया गया था। जनवरी 1981 से इसने कार्य प्रारम्भ किया। इस निगम के 7 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, सतना एवं ग्वालियर में स्थित है।
- 1977-78 में मध्यप्रदश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गया था।
- मध्यप्रदेश ने राज्य जैविक कृषि नीति 2011 को जुलाई 2011 में मंजूरी दी।
- मध्यप्रदेश सरकार ने 10 लाख हेक्टेयर गैर वन पड़त भूमि के विकास हेतु पड़त भूमि विकास नीति-2006 को 22 अगस्त, 2006 को स्वीकृति प्रदान की।
- मध्यप्रदेश में सितम्बर, 2006 में 'राज्य कृषक आयोग' का गठन किया गया। आयोग का अध्यक्ष राजेन्द्र पाठक को नियुक्ति किया गया।
- मध्यप्रदेश में देश का 10.3 प्रतिशत पशुधन हैं
- मध्यप्रदेश के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है (कुल पशुधन का 24 प्रतिशत) बकरो को 'गरीबों की गाय' कहा जाता हैं
- मध्यप्रदेश के कुल पशुधन में 51 प्रतिशत गौवंशीय है।
- मध्यप्रदेश में औसतन प्रति हजार वर्ग किमी. में 1.1 मंडी स्थित है। सर्वाधिक मंडी औसत राजगढ़ (1.8 मंडियाँ प्रति 1000 वर्ग किमी.) में तथा सबसे कम औसत सीधी (0.19 मंडी प्रति 1000 वर्ग किमी.) में है।
- वर्तमान में मध्यप्रदेश में 517 विनियमित बाजार है। जिनमें से 251 मुख्य थोक बाजार है, जिन्हें कृषि उपज मंडी कहा जाता है।
- मध्यप्रदेश में ग्रामीण भागों में 1321 हाट बाजार है।
- मध्यप्रदेश में उद्यानिकी उपजों के विपणन के लिए 126 मंडियाँ घोषित की गयी हैं।
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
- भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है - **सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व।**
- किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है- **प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय।**
- अब राष्ट्रीय आय के मापन में वर्ष 2004-05 के बजाय किसे आधार वर्ष माना जाता है- **वर्ष 2011-12 को**
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत हैं- **57.8 प्रतिशत**
- भारत में फसल बीमा योजना का शुभारम्भ हुआ - **वर्ष 1985 में।**
- राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन प्रारम्भ हुआ - **वर्ष 2005 (दसवीं पंचवर्षीय योजना)**
- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है- **कृषि लागत और कीमत आयोग** (CACP)
- भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है - **परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर**
- व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक (Ease of Doing Business Index) वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है- **विश्व बैंक द्वारा**
- अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contribution) है - **जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना**
- एगमार्क का संबंध है - **गुणवत्ता से**
- भारत में एग्रो-इकोलॉजिकल ज़ोंस (कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों) की कुल संख्या है- **20**

विश्व में कृषि के विशेष प्रकार

- **विटीकल्चर** - अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन।
- **पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया।
- **सेरीकल्चर** - रेशम उत्पादन की क्रिया, जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है।
- **हॉर्टीकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन ।
- **ओलिवीकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि।
- **आरबरीकल्चर** - विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि, जिसमें उनका संरक्षण व संवर्द्धन भी शामिल है।
- **एपीकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी (मोंन) पालन।
- **फ्लोरीकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि।
- **सिल्वीकल्चर** - वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित प्रक्रिया।
- **वेजीकल्चर** - दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि।
- **नेमरीकल्चर** - आदिम व्यवस्था की कृषि, जिसमें वनों से फल-फूल व कंद-मूल संग्रह किया जाता है।
- **ओलेरीकल्चर** - जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि।
- **मेरीकल्चर** - व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया।
- **हॉर्सीकल्चर** - व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन।
- **वर्मीकलचर** - कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन।
- **मोरीकल्चर** - रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि।
- **एरीपोनिक** - पौधों को हवा में उगाना।
- **पोमोलॉजी** - फल विज्ञान।

कृषि साख (Agricultural Credit)

केन्द्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत् निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र (Priority Sector) को उपलब्ध कराना होता है। इनमें कृषिगत ऋण, लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण तथा 10 लाख रूपये तक के

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

आवास ऋण मुख्यत: शामिल किए जाते हैं। कुल ऋण राशि का 18 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान ऋण नीति में शामिल है। ध्यातव्य है कि भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को तीन प्रकार के ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है।

1) **अल्पकालीन ऋणों** के अन्तर्गत खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **15 माह** से भी कम समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बीज, उर्वरक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण की मांग की जाती है।

2) **मध्यकालीन ऋणों** के अन्तर्गत भूमि में सुधार करने के लिए, पशु खरीदने के लिए तथा कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए **15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि** क लिए प्राप्त किए गए ऋणों को सम्मिलित किया जाता है।

3) **दीर्घकालीन ऋणों** के अन्तर्गत भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार कराने, पुराने श्रणों का भुगतान करने तथा मँहगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए **5 वर्ष से अधिक समयावधि** के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है।

कृषि ऋण का प्रवाह

– प्राकृतिक आपदाएँ आने पर किसानों को राहत देने के लिए पुन: रचित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज सहायता राशि जारी किया जाता हैं दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू की जाती है। यह प्रावधान 2015-16 से लागू है। ज्ञातव्य है कि किसानों को फसल ऋण पर 3,00,000 रुपये तक की मूलधन राशि 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान की जा रही है। 2015-16 के दौरान उन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है जो अपने ऋण की तत्परता चुकौती कर रहे हो। ज्ञातव्य है कि 2003-04 से कृषि ऋण का प्रवाह लगातार लक्ष्य से अधिक रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

– किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले, झंझट-मुक्त और कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और यथासमय ऋण-सहायता मुहैया कराने के लिए 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की गई। केसीसी योजना अब दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना के उधारकर्ताओं के लिए भी लागू हो गई है, जिससे व्यापक ऋण-योजना की एकल विंडो के रूप में केसीसी को स्वीकारे जाने की मार्ग प्रशस्त हो गया है। केसीसी एक व्यापक ऋण उत्पाद हेतु सिंगल विंडो बन चुका है।

– किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक प्रयोक्त अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, नाबार्ड ने केसीसी योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों हेतु सावधि ऋणों को शामिल किया है।

सहकारी बैंक

– 10 जुलाई, 2015 की स्थिति के अनुसार एसएचजी बचतों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक हिस्सा था, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का स्थान था।

– भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरीय है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिलास्तर पर तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती है।

– प्राथमिक विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है।

– राज्य सरकारें कृषकों को तकावी ऋण प्रदान करती हैं।

– भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा बनाये गये सहकारी समिति अधिनियमों के द्वारा किया जाता है।

– भारत में सहकारी साख संगठन का स्वरूप कैसा हैं? - संघीय।

ग्रामीण बैंक

– 1975 में कृषि साख को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए एम. नरसिम्हन समिति के अनुसार सुझावानुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इन बैंकों की संख्या 196 है।

– देश के सिक्किम तथा गोवा राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

– 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई।

– देश में कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्षस्थ संस्था **'नाबार्ड'** अर्थात् राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

– आयोजना प्रक्रिया के आरंभिक चरण से ही भारत सरकार की यह स्पष्ट धारणा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है. इसलिए महत्त्वपूर्ण पहलुओं के गहन अध्ययन के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति (क्रैफिकार्ड) गठित की. श्री बी. शिवरामन, पूर्व सदस्य , योजना आयोग , भारत सरकार की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को समिति का गठन किया गया.

– 28 नवंबर 1979 को समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण से संबन्धित मुद्दों पर एकनिष्ठ ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें सशक्त दिशा देने के लिए एक नए संगठनात्मक साधन की आवश्यकता रेखांकित की गई. समिति ने एक ऐसे अलग तरह की विकास वित्तीय संस्था के गठन की अनुशंसा की जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति करे. संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के गठन का अनुमोदन किया.

– भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों के अंतरण द्वारा नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया. स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 05 नवंबर 1982

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

को यह सेवा राष्ट्र को समर्पित की. नाबार्ड की आरंभिक पूंजी रु. 100 करोड़ थी जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार रु. 5,000 करोड़ है. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच अंश पूंजी की धारिता में संशोधन के बाद भारत सरकार की अंश पूंजी रु. 4,980 करोड़ (99.60%) और भारतीय रिजर्व बैंक की अंश पूंजी रु. 20 करोड़ (0.40%) है.

–

- **ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि (RIDF) :** इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है, की स्थापना नावार्ड के अन्तर्गत 1995 में की गई थी। इसके बाद प्रत्येक बजट में इसके लिए राशि का आबंटन किया जा रहा है।
- **भूमि विकास बैंक :** भारत में सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में स्थापित किया गया था। यह बैंक कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह कृषकों की अचल सम्पत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्रदान करती है। साधारणतया प्रतिभूति के मूल्य का 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (1998-99) का मुख्य उद्देश्य कषकों को अल्पावधि एवं दीर्घावधि के लिए सुविधाजनक तरीके से ऋण उपलब्ध कराना।
- देश में सर्वाधिक शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र में है।
- सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल आंशिक होता है।

स्वाभिमान कार्यक्रम : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम स्वाभिमान (SWABHIMANN) का शुभारम्भ 10 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में किया गया था। यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय बैंक संघ (IBA) के सहयोग से ग्रामीण और शहरी भारत के मध्य विद्यमान आर्थिक विषमता को कम करने हेतु प्रारम्भ किया गया है, जिसका ध्येय वाक्य है : **'सुनहरे कल का अभियान'**। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से अधिक तथा मैदानी क्षेत्रों में 1600 से अधिक की आबादी वाले बैंक रहित 74000 गाँवों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

विभिन्न कृषिगत उत्पादन एवं उनमें अग्रणी देश

उत्पादित फसल	अग्रणी देश
चावल	चीन, भारत, इंडोनेशिया
गेहूँ	चीन, भारत, रूस
मक्का	संयुक्त राज्यअमेरिका,चीन, ब्राजील
दलहन	भारत, रूस, पोलैंड
मूंगफली(छिलका युक्त)	चीन, भारत, नाइजीरिया
गन्ना	ब्राजील, भारत, चीन
कपास (बीज)	चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका
जूट	भारत, बांग्लादेश, चीन
आलू	चीन, भारत, रूस
केला	भारत, चीन, फिलीपींस
नारियल	इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत
चाय	चीन, भारत, केन्या
कॉफी (हरी)	ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया
कोकोआ	कोट डी आइवर, घाना, इंडोनेशिया
कुल दूध	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन
तंबाकू	चीन, ब्राजील, भारत
प्राकृतिक रबर	थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम

प्रमुख फसलें एवं उनकी बीमारियाँ

फसल	बीमारी
बाजरा	हरित बाल रोग
चना	उकठा (विल्ट)
गेहूँ	कर्नाल बंट, काला किट्ट (Black Rust) तथा स्मट (Smut), कवक जनित
भिंडी	पीत वर्ण शिरा (यलो वेन मोजैक)-विषाणु जन्य
आलू	ब्लैक हार्ट (ऑक्सीजन की कमी से)
धान	टुंगरो रोग-विषाणु जन्य
सरसों	सफेद किट्ट- कवक जनित
मक्का	सफेद कली, पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना - (Zn की कमी)

प्रमुख फसल एवं उनकी प्रजातियाँ

फसल	प्रजाति
धान	मही सुंगधा, बारानी दीप, पूसा आर.एच.-10 (बासमती चावल की संकर प्रजाति) पूसा सुगंधा-5, जया, पद्मा, कृष्णा, अमन, (जून-जुलाई में बुआई, नवम्बर, दिसम्बर में कटाई) हंसा, जमुना, करूणा कांची, जगन्नाथ, कावेरी, विजय, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, शुष्क सम्राट, गोविंद
आम	सिंधु (बीजरहित), दशहरी-51 (नियमित फसल)
गेहूँ	लर्मा रोजो 64-ए, सोनारा-64 (प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित), राज 3077, सोनालिका, पूसा सिंधु गंगा, यूपी-308, कल्याण सोना, अर्जुन, कुंदन
सरसों	वरूणा, पूसा, बोल्ड, पीतांबरी, पूसा जयकिसान
अरहर	मालवीय चमत्कार, बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, पारस, UPAS – 120
मटर	अपर्णा (पत्तीविहीन प्रजाति), प्रकाश
आंवला	कंचन, बनारसी, कृष्णा

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

महत्वपूर्ण फसलें एवं उत्पादक राज्य

खाद्यान्न फसल /फसल समूह	राज्य उत्पादन
चावल	पश्चिम बंगाल > उत्तर प्रदेश > पंजाब
गेहूँ	उत्तर प्रदेश > मध्यप्रदेश > पंजाब
मक्का	कर्नाटक > मध्यप्रदेश > बिहार
ज्वार	महाराष्ट्र > कर्नाटक > तमिलनाडु
बाजरा	राजस्थान > उत्तरप्रदेश > गुजरात
कुल मोटे अनाज	राजस्थान > कर्नाटक > मध्यप्रदेश
चना	मध्यप्रदेश > कर्नाटक > राजस्थान
तूर (अरहर)	मध्यप्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक
कुल दालें	मध्यप्रदेश > राजस्थान > महाराष्ट्र
तिलहन	
मूंगफली	गुजरात > राजस्थान > तमिलनाडु
रेपसीड और सरसों	राजस्थान > हरियाणा > मध्यप्रदेश
सोयाबीन	मध्यप्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान
कुल नौ तिलहन	मध्यपदेश > राजस्थान > गुजरात
नकदी फसलें	
गन्ना	उत्तरप्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक
कपास	गुजरात > महाराष्ट्र > तेलंगाना
जूट और मेस्ता	पश्चिम बंगाल > बिहार > असम
आलू	उत्तरप्रदेश > पश्चिम बंगाल > बिहार
प्याज	महाराष्ट्र > कर्नाटक > मध्यप्रदेश
नारियल	तमिलनाडु > कर्नाटक > केरल
कुल फल	महाराष्ट्र > आंध्रप्रदेश > गुजरात
कुल सब्जियां	पं. बंगाल > उत्तर प्रदेश > बिहार

प्रमुख फसलों के सीजन एवं उनके नाम

फसल प्रकार	प्रमुख फसलें
रबी फसल बुआई : अक्टूबर-नवम्बर कटाई : मार्च -अप्रैल (शीतकालीन फसल)	गेहूँ, जा, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, रेपसीड
खरीफ फसल बुआई : जुन-जुलाई कटाई : अक्टूबर-नवम्बर (वर्षाकालीन फसल)	चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन
जायद फसल मार्च-जुलाई (ग्रीष्मकालीन फसल)	तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी
नकदी फसल	गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, केला

पौधों के प्रमुख भाग एवं उनके रूपांतरण

पौधों के भाग	रूपांतरण
तना	गन्ना, आलू, अदरक, हल्दी
जड़	शलजम, गाजर, शकरकंद
बंद कलियां/सूखे फूल	लौंग
पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र	केसर
मांसल पर्ण	प्यास
भ्रूणपोष	नारियल

प्रमुख तत्व व वर्णक तथा उनसे उत्पन्न प्रभाव

तत्व/वर्णक	उत्पन्न प्रभाव
कैप्सैइसिन	मिर्च की तीक्ष्णता
लाइकोपीन	टमाटर का लाल रंग
कैरोटीन	गाजर में लाल नारंगी रंग
ऐन्थोसायनिन	सेब के फल में लाली
कैरिका जैन्थिन	पपीते में पीला रंग
जैन्थोफिल	हल्दी में पीला रंग

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

अनुसंधान संस्थान तथा स्थल

अनुसंधान संस्थान	स्थल
केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक (ओडिशा)
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान	करनाल (हरियाणा)
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला (कुफरी, हिमाचल प्रदेश)
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर (उत्तरप्रदेश)
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मैसूर (कर्नाटक)

विश्व के स्थानांतरणशील कृषि

नाम	क्षेत्र
रे	वियतनाम तथा लाओस
टावी	मालागासी
मसोले	कांगो (जायरे नदी घाटी क्षेत्र)
फैंग	भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देश
लोगन	पश्चिमी अफ्रीका
कोनूल/कोमिले	मैक्सिको
मिल्पा	यूकाटन एवं ग्वाटेमाला
इचाली	ग्वाडेलूप
मिल्या	मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश
कोनूको	वेनेजुएला
रोका	ब्राजील
चेतेमिनी	युगांडा, जाम्बिया एवं जिम्बाव्वे
कैंगिन	फिलीपींस
तुंग्या	म्यांमार (बर्मा)
चेन्ना	श्रीलंका
लेदांग	जावा एवं मलेशिया
तमराई	थाईलैंड
हुमा	जावा एवं इंडोनेशिया

भारत क विभिन्न भागों में स्थानान्तरित कृषि के नाम

कृषि	भारत के विभिन्न भाग
झूम	उत्तरी-पूर्वी भारत
वेवार एवं डहियार	बुन्देलखण्ड संभाग (म.प्र.)
दीपा	बस्तर जिला (छत्तीसगढ़)
जारा एवं एरका	दक्षिण भारतीय राज्य
बत्रा	दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान
पोडू	आन्ध्रप्रदेश
कुमारी	केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र
कमान, विंगा एवं धावी	ओडिशा

विभिन्न क्रांतियाँ एवं संबंधित क्षेत्र

हरित क्रांति (Green Revolution)	कृषि उत्पादन
श्वेत क्रांति (White Revolution)	दुग्ध उत्पादन
नीली क्रांति (Blue Revolution)	मत्स्य उत्पादन
गुलाबी क्रांति (Pink Revolution)	झींगा मछली उत्पादन
पीली क्रांति (Yellow Revolution)	सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन
लाल क्रांति (Red Revolution)	मांस/टमाटर उत्पादन
गोल क्रांति (Round Revolution)	आलू उत्पादन
रजत क्रांति (Silver Revolution)	अंडा उत्पादन
सुनहरी (स्वर्ण) क्रांति (Golden Revolution)	फल उत्पादन (बागवानी)
इन्द्रधनुषी क्रांति (Rainbow Revolution)	कृषि सम्बधी समग्र क्रांति (नवीन कृषि नीति में निर्धारित)
भूरी क्रांति (Brown Revolution)	गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन
कृष्ण क्रांति (Black Revolution)	खनिज तल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु
अमृत क्रांति	नदियों को जोड़ने की योजना
संपर्क क्रांति	लम्बी दूरी का रेल सम्पर्क स्थापित करना
सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति	कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

वनस्पतियों का वर्गीकरण

ट्रोपोफाइट (Tropophyte)	उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियाँ
हाइड्रोफाइट (Hydrophyte)	जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ
हाइग्रोफाइट (Hygrophyte)	अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ
जेरोफाइट (Xerophyte)	उष्ण कटिबंधीय मरूस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ
मेसोफाइट (Mesophyte)	शीतोष्ण कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ, जैसे-लाइकेन, काई।
क्रायोफाइट (Cryophyte)	शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ, जैसे-लाइकेन, काई।
हैलोफाइट (Halophyte)	नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ जैसे-मैंग्रोव
लिथोफाइट (Lithophyte)	कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ
पायरोफाइट (Pyrophyte)	अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ (सवाना क्षेत्र की)

पशु एवं नस्लें

पशु	नस्लें
गाय	साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, हरियाणवी, निमाड़ी, मेवाती, राठ, अंगोल, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, मालवी, अमृत महल, कांगयाम, पवार, गंगातीरी, सीरी, डांगी
विदेशी गाय	जर्सी, गर्नसी, होल्स्टीन, ब्राउनसुइस
भैंस	मुर्रा (अधिकतम दूध), भदावरी (अधिकतम वसा),जाफराबादी,मेहसाना,तराई, सुरती, नागपुरी
भेंड	भादरवाह, भाकरवाल, करनाह, गुरेज, रायपुर बुशयार, लोही, जालौनी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, कच्छी, नाली, चोकला, नेल्लोरी, मंडिया, हसन, बैलरी
बकरी	जमुनापारी, बीतल, बरबरी, मालावारी, ब्लैक बंगाल, गद्दी, कच्छी, पश्मीना, ओस्मानावादी मारवाड़ी, अंगोरा, मेहसाना, असमहिल्स, सूरती, पर्वतसर, जखराना

कृषि अनुसंधान संस्थान

संक्षिप्त नाम	पूरा नाम	स्थापना वर्ष	स्थान (राज्य)
IAHVB	इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल हस्बेण्ड्री एण्ड वैटनरी बायोलोजीकल्स	–	बंगलौर (आन्ध्रप्रदेश)
IARI	इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसच इंस्टीट्यूट	1905	नई दिल्ली (दिल्ली) (1945 के पूर्व पूसा बिहार में थी)
IASRJ	इण्डियन एग्रीकल्चरल स्टोटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट	1959	नई दिल्ली (दिल्ली)
IGFRI	इण्डियन ग्रासलैण्ड एण्ड फॉडर रिसर्च	1962	झाँसी (उत्तरप्रदेश)
IGSI	इण्डियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट	–	हापुड़ (उत्तरप्रदेश)
IIFM	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	–	भोपाल (उत्तरप्रदेश)
IIHR	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टीकल्चरल रिसर्च	1967	हैसरघट्टा बंगलौर (कर्नाटक)
IIPR	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च	1984	कानपुर (उत्तरप्रदेश)
IISR	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगरकेन रिसर्च	1952	लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

ILRI	इण्डियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट	1925	रांची (झारखण्ड)
ISARD	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑन एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट	–	धारवाड़ (कर्नाटक)
IVRI	इण्डियन वैटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट	1984	इज्जत नगर (उत्तरप्रदेश)
IWST	इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी	–	बंगलौर (कर्नाटक)
JTRL	जूट टैक्नोलोजिकल रिसर्च लेबोरेटरी	1939	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
SBI	सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट	1912	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
VPKAS	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	1985	अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
IISR	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च	1975	कालीकट (केरल)
IIVR	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजीटेबल रिसर्च	–	वाराणसी (उत्तरप्रदेश)
IISS	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइन्स	–	भोपाल (उत्तरप्रदेश)

संक्षिप्त नाम	पूरा नाम	स्थापना वर्ष	स्थान (राज्य)
NAARM	नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट	1976	हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)
NBAGR	नेशनल ब्यूरो ऑफ एनीमल जैनेटिक रिसोर्सेज	1985	करनाल (हरियाणा)
NBDC	नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेन्टर	–	गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)
NBFGR	नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जैनेटिक रिसोर्सेज	1983	इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)
NBPGR	नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जैनेटिक रिसोर्सेज	1976	नई दिल्ली (दिल्ली)
NBRI	नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	–	लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
NBSSLP	नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एण्ड लैण्ड-यूज प्लैनिंग	1976	नागपुर (महाराष्ट्र)
NCAEPR	नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स एण्ड पॉलिशी रिसर्च	1991	नई दिल्ली (दिल्ली)
NDRI	नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट	1955	करनाल (हरियाणा)
NIAG	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल्स जैनेटिक्स	1984	करनाल (हरियाणा)
NIRD	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट	–	हैदराबाद (उत्तर प्रदेश)
NRCA	नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर एग्रो-फोरेस्ट्री	1988	झाँसी (उत्तरप्रदेश)
NRCC	नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल	1984	बीकानर (राजस्थान)
NRCPB	नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी	1985	नई दिल्ली (दिल्ली)
NRCAH	नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर एरिड हार्टीकल्चर	–	बीकानेर (राजस्थान)
NSI	नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट	–	कानपुर (उत्तरप्रदेश)
NRCWA	नेशनल सेन्टर फॉर वीमन इन एग्रीकल्चर	–	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
NIRJAFT	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एण्ड एप्लाइड फाइबर टैक्नोलॉजी	–	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
HSADL	हाई सिक्योरिटी एनीमल डिसोज लेबोरेटरी	–	भोपाल (मध्यप्रदेश)
CARI	सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट	1978	पोर्ट ब्लेयर(अण्डमान और निकोबार)
CARI	सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट	1979	इज्जत नगर (उत्तरप्रदेश)
CAZRI	सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट	1959	जोधपुर (राजस्थान)
CFTRI	सेंट्रल फूड टैक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट	–	मैसूर (कर्नाटक)
CIAE	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग	1955	भोपाल (मध्यप्रदेश)
CICFRI	सेंट्रल इनलैण्ड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट	1947	बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)
CICR	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च	1976	नागपुर (महाराष्ट्र)
CISH	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबटोपिकल हार्टीकल्चर	1984	लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
CPRI	सेंट्रल पोटेटों रिसर्च इंस्टीट्यूट	1949	शिमला (हिमाचल प्रदेश)
CRIDA	सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैण्ड एग्रीकल्चर	1985	हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)
CRRI	सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट	1946	कटक (उड़ीसा)
CSSRI	सेंट्रल सोयल सैलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट	1969	करनाल (हरियाणा)

gkexams.com

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

CTRI	सेंट्रल टुबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट	1947	राजमुन्दी (आन्ध्रप्रदेश)
CPCRI	सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	कासरगोड (केरल)

कॉफी बोर्ड	1942	बंगलौर
रबर बोर्ड	1947	कोट्टायम
टी बोर्ड	1954	कोलकाता
तम्बाकू बोर्ड	1976	गुंटूर
मसाला बोर्ड	1987	कोच्चि

- **केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAUI)**- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर) (देश का एकमात्र केन्द्रीय कृषि वि.वि., 1993)
- कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जान वाले ऋणों में सहायता को लिए 12 जुलाई 1982 को कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय बम्बई में है।
- नाबार्ड किसानों एवं अन्य ग्रामीणों को सीधे सहायता प्रदान नहीं करता, बल्कि सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।
- 1995-1996 में **'ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष'** की स्थापना नाबार्ड के अन्तर्गत की गयी।
- 6 नवम्बर, 2005 को किसानों तक नई तकनीक एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तथा किसानों एवं ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासनिक इकाईयों, कृषि विज्ञान कन्द्रों को जोड़ने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा) का गठन किया गया।
- लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) का गठन 1 दिसम्बर, 1986 को किया गया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- 2004 में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया।
- **कृषि एवं संसाधित खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** - मुख्यालय-नई दिल्ली, स्थापना वर्ष-1986, कार्य-कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

पंचायती राज

ग्राम पंचायत

- 1000 से ऊपर जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा।
- सदस्यों की संख्या 10 से 20
- वर्तमान में 23006 ग्राम पंचायतें है।
- मुखिया सरपंच होता है।
- पंचायत सचिव, पंचायत द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी होता है।
- सरपंच, उपसरपंच को अविश्वास द्वारा हटाया जा सकता है
- इसका प्रथम प्रयोग-शहडोल जिले की अनूपपुर तहसील की पल्लविका पटेल को इसी अधिकार द्वारा हटाया गया था।
- मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ स्थानीय निकायों में Right to Recall का प्रावधान किया।

जनपद पंचायत

- यह मध्य स्तर है, जिसका गठन विकासखण्ड पर होता है।
- 5000 से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र में गठन होता हैं।
- इसकी सदस्य संख्या 10 से 25 होती है।
- प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- क्षेत्र का विधायक व सांसद पदेन सदस्य होते हैं।
- सहकारी बैंकों का अध्यक्ष सहयोजित सदस्य होता है।
- जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी CEO होता हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित

Click here for Download more free pdf → pebexam.blogspot.com

होता है।

जिला पंचायत

- 50,000 की जनसंख्या से ऊपर आबादी वाले क्षेत्रों में गठन किया जाता है।
- इसकी सदस्य संख्या 10 से 35 होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- सांसद, विधायक पदेन सदस्य होते हैं। जनपद अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है।
- कलेक्टर पदेन सदस्य होता है।
- प्रदेश में वर्तमान में 51 जिला पंचायतें है।
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते है।
- कार्यकारी अधिकारी एक IAS होता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नगरीय प्रशासन

- मध्यप्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन 1864 में जबलपुर में हुआ था।
- 74वाँ संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है।

नगर निगम

- शहरी ग्रामीण संबंध समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे क्षेत्रों में नगर निगम स्थापित किए जाएँ, जहाँ जनसंख्या 5 लाख व आय 1 करोड़ वार्षिक हो।
- जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो वहाँ नगर निगम गठित की जाती है।
- वर्तमान में मध्यप्रदेश में 16 नगर निगम है।
- नगर निगम परिषद् के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिनकी संख्या 40 से 70 होती है।
- 1997 में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष व कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है।
- नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो प्रथम नागरिक होता है। पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था व कार्यकाल 2.5 वर्ष था।
- मध्यप्रदेश में उप-महापौर का पद समाप्त कर स्पीकर का पद बनाया गया है।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्यकारी) निगम आयुक्त होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है तथा इसका वेतन नगर निगम कोष से दिया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- नगर निगम परिषद् में लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा, विधान परिषद्, के पदेन सदस्य होते है।
- 6 विशेषज्ञ सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते है।
- मेयर इन कौंसिल नगर निगम की मुख्य समिति है।
- इस समिति का महापौर (पदेन) अध्यक्ष होता है।
- इसमें कुल 11 सदस्य अध्यक्ष सहित होते है।
- इनकी सहायता के लिए 10 विभागीय समितियाँ भी होती है, जिनके अध्यक्ष मेयर इन कौंसिल के सदस्य होते है। इनकी कुल सदस्य संख्या 7 होती है।

नगर पालिका

- 20 हजार से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गठित की जाती है।
- वर्तमान में नगरपालिका की संख्या 98 है। वार्ड सदस्य संख्या 15 से 40 होती है। मनोनीत सदस्य 4 होते है।
- मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सी.एम.ओ. होता है, जो राज्य सेवा का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- समिति में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते है।
- अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- यहाँ भी सदस्यों को जनता द्वारा वापस बुलाने का अधिकार है। नगरपालिका की समिति को प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल कहा जाता है।
- सात अन्य समितियाँ होती है, जिनके अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल समिति के सदस्य होते हैं। इनके सदस्य 5 होते है।

नगर पंचायत

- नगर पंचायतें संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है।
- यह 5 हजार से अधिक व 20 हजार से कम जनसंख्या हो, वहां इनका गठन किया जाता है।
- वर्तमान में प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या 264 है।
- 2 विशेषज्ञ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत तथा बाकी सांसद, विधायक आदि होते है।
- इसका अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
- इसकी 5 उपसमितियाँ होती है, जिनके अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल के सदस्य होते है। इनमें प्रत्येक के 3-3 सदस्य होंगे।
- इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एम.ओ. होता है, जो तृतीय श्रेणी अधिकारी है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
- समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते है।
- नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल कहा जाता है।

==============================

GOUTAM IAS ACADEMY
An ISO 9001:2015 Certified Institute UPSC MPPSC SSC BANK VYAPAM